अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख-पत्र

सर्वोदय जगत

वर्ष-39, अंक-16, 01-15 अप्रैल, 2016

सत्य के शोध के लिए कृत निश्चय

मैं केवल अपने ही भीतर दिव्य तत्त्व होने का दावा नहीं करता। मेरा पैगम्बर होने का भी दावा नहीं है। मैं तो केवल सत्य का एक नम्र शोधक हूँ और उसका पता लगाने के लिए कृत निश्चय हूँ। ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए मैं किसी भी त्याग को बहुत बड़ा नहीं मानता। मेरी सारी प्रवृत्ति, फिर वह सामाजिक हो, राजनीतिक हो, मानव-दया से प्रेरित हो या नैतिक हो, इसी एक हेतु से चलती है और क्योंकि मैं जानता हूँ कि ईश्वर के दर्शन ऊँचे और शक्तिशाली मानवों के बजाय अकसर उसके छोटे से छोटे और नीचे से नीचे मानवों में हमें होते हैं, इसलिए मैं इनकी स्थिति को पहुँचने का जी-तोड़ प्रयत्न कर रहा हूँ। और उनकी सेवा के बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मुझमें दबे और कुचले हुए वर्गों की सेवा की इतनी उत्कट लगन है और चूँकि राजनीति में प्रवेश किये बिना मैं यह सेवा नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने राजनीति में प्रवेश किया है। इस प्रकार मैं स्वामी नहीं हूँ; मैं तो भारत का और उसके द्वारा सारी मानव-जाति का कठिनाइयों के बीच प्रयत्न करनेवाला, गलतियाँ करनेवाला, एक नम्र सेवक हूँ।

('सिलेक्शन्स फ्रॉम गांधी' से)

—गांधी

सर्व सेवा संघ
(अखिल भारत सर्वोदय मंडल)
द्वारा प्रकाशित

अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख-पत्र
सर्वोदय जगत
सत्य, अहिंसा एवं सर्वोदय-सम्पूर्ण क्रांति का संदेश वाहक

वर्ष : 39, अंक : 16, 01-15 अप्रैल, 2016

संपादक
बिमल कुमार
मो. : 9235772595

कार्यकारी संपादक
डॉ.योगेन्द्र यादव

संपादक मंडल
डॉ. रामजी सिंह भवानी शंकर 'कुसुम'

संपादकीय कार्यालय
सर्व सेवा संघ, साधना केन्द्र
राजघाट, वाराणसी-221001 (उ.प्र.)
फोन : 0542-2440-385/223
ईमेल : sarvodayajagat@gmail.com
Website : sssprakashan.com

शुल्क

मूल्य	:	पांच रुपये
वार्षिक	:	100 रुपये
आजीवन	:	1000 रुपये

खाता संख्या : 383502010004310
IFSC No. UBIN-0538353
Union Bank of India

विज्ञापन दर
पूरा पृष्ठ : 2000 रुपये
आधा पृष्ठ : 1000 रुपये
चौथाई पृष्ठ : 500 रुपये

इस अंक में...

1. संपादकीय... 2
2. अप्रतिम गांधी और अदम्य सुभाष 3
3. आँखों पर यह हमला क्यों? 5
4. टीपू सुल्तान साम्प्रदायिक नहीं 7
5. हुजूर-मजूर का भेद मिटाना होगा.. 8
6. बाबा साहब अम्बेडकर : परिपूर्ण... 9
7. कर्ज माफी : किसान बनाम... 10
8. अफगानिस्तान : मानवता के विरूद्ध... 12
9. प्राकृतिक चिकित्सा–एक वरदान 13
10. महात्मा गांधी का भारतीय शिक्षा... 14
11. एक्टिविस्ट अशोक मानव से... 17
12. तुम सोये चादर ताने 20

सम्पादकीय

एकमात्र आशा : गांधी-दर्शन

अप्रैल का महीना और देश के कुछ भागों में तापमान का 50 डिग्री तक पहुँचना, उससे मेहनतकश लोगों का मरना, एक बार फिर इस देश की अवाम को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। कई प्रदेशों में अधिकारिक घोषणा कर दी गयी है कि लोग अपने घरों से 10 बजे से 5 बजे तक न निकलें। इस गर्मी में नाममात्र के बचे जंगलों में जो प्रतीक रूप में जंगली जानवर बचे हैं, उनका जीवन भी खतरे में है। सूखे के कारण पीने के पानी का संकट भी गहरा गया है। तमाम क्षेत्रों से ऐसे समाचार मिल रहे हैं कि पालतू जानवर भूख और प्यास के कारण दम तोड़ रहे हैं या अपने परिवार की जीवन-रेखा बन चुके पालतू जानवरों का जीवन सही सलामत रहे, वह प्यास और भूख से व्याकुल होकर दम न तोड़े, इसलिए उसे औने-पौने दामों में बेच रहे हैं। इन्हीं सब कारणें से हमारी पहले की कई सभ्यताएँ मसलन सिन्धु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विनाश हो चुका है। जबकि ऐसा कहा जाता है कि वे सभ्यताएँ वर्तमान सभ्यता से बेहतर थीं।

इस गर्मी से बेहाल शहरी एवं ग्रामीण लोगों को इस गर्मी ने एक बार फिर सोचने को मजबूर कर दिया है कि बिना प्रकृति के साहचर्य के पृथ्वी पर मानव जीवन नहीं है। महात्मा गांधी के अनन्य सहयोगी एवं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल ने जो देश के विकास की रूपरेखा बनायी, उसके कारण हम भौतिक रूप से दुनिया के समकक्ष तो जरूर खड़े हो गये, लेकिन मानव जीवन के अस्तित्व पर ही बन आयी। विकास के नाम पर हमने धरती के ऊपर और धरती के नीचे स्थित प्राकृतिक सम्पदाओं का दोहन शुरू कर दिया। इस दोहन में समाज के सफेदपोशों ने भी अपनी अहम भूमिका निभायी। जो चैरिटी के नाम पर एकाध प्रोग्राम करके जनता को बेवकूफ बनाते रहे और उनके नीचे की जमीन को खोखला करते रहे। वनों की अनियंत्रित कटाई के कारण अब भारत में उपस्थित पेड़ों में वह ताशीर नहीं रह गयी कि वह बादलों में छिपे नन्हें जल कणों को संगठित कर सके और उन्हें चूने जैसी बूँद के रूप में परिवर्तित कर सके। इस कारण देश के कई भागों में पिछले चार वर्षों से इतनी भी वर्षा नहीं हो रही है कि नदियाँ, तालाब, पोखरे भर जाएँ, जिसके पानी से साल भर उसका काम चल जाय।

इसका समाधान क्या हो? हम किस रास्ते पर चलें, जिससे हमारा जीवन पहले सरीखा पानीमय हो जाय। इन प्रश्नों का उत्तर बड़ा ही सीधा है, सरल है। एक बार फिर हमें महात्मा गांधी के बताये हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। नंगी हो चुकी धरती को फिर पेड़-पौधों से आच्छादित करना होगा। नदियों को गहरा करना होगा। उसमें जो सिल्ट जमा हो गयी है, उसका उपयोग खेत को उर्वरा बनाने के लिए निकाल कर फैलाना पड़ेगा। देश के सभी भागों में समाप्त हो चुके प्राकृतिक तालाबों-जलाशयों से अवैध कब्जे हटाना पड़ेगा। सूख गये कुँओं में वर्षा का जल कैसे संचित हो, इसका इंतजाम करना पड़ेगा। वर्षा का जल भूगर्भ के नीचे कैसे जाय, इसकी नीति बनानी होगी। हर व्यक्ति को जल-जंगल के महत्त्व को समझाना पड़ेगा। पेड़ लगाने की परम्परा को शादी-ब्याह एवं बच्चों के जन्म से जोड़ना पड़ेगा।

शेष पृष्ठ 16 पर...

अप्रतिम गांधी और अदम्य सुभाष

❑ सुजाता

कलकत्ता में हालवेल स्मारक को हटाने के आंदोलन के सिलसिले में सुभाषचन्द्र बोस 2 जुलाई, 1940 को गिरफ्तार हो गये, तो एक युवक द्वारा महात्मा गांधी से पत्र द्वारा यह प्रश्न पूछा गया कि कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा इस पर कोई टिप्पणी क्यों नहीं की गयी?

महात्मा गांधी ने उत्तर देते हुए लिखा, 'यह सच है कि सुभाष बाबू कांग्रेस के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं और लगातार दो बार इस पद पर चुने गये हैं। उन्होंने देश के लिए महान त्याग-बलिदान किया है। वे एक जन्मजात नेता हैं। लेकिन उनके इन्हीं गुणों के कारण उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रकट किया जाय, ऐसा नहीं हो सकता। अगर गिरफ्तारी की भर्त्सना उसके गुण-दोष के आधार पर की जा सकती, तो कार्यसमिति उसकी ओर ध्यान देने को बाध्य होती। सुभाष बाबू ने कानून की अवहेलना कांग्रेस की अनुमति से नहीं की थी। उन्होंने तो खुल्लमखुल्ला और बड़े साहस के साथ कार्यसमिति की भी अवहेलना की है। यदि उन्होंने इस समय सरकार के खिलाफ संघर्ष छेड़ने के लिए कोई गौण प्रश्न उठाने की अनुमति माँगी होती, तो मेरा ख्याल है, कार्यसमिति ने इन्कार कर दिया होता। इससे अधिक महत्त्व के सैकड़ों सवाल ढूँढे जा सकते हैं। लेकिन अभी देश का ध्यान केवल एक सवाल पर केन्द्रित है। उचित समय आने पर उस सवाल पर सीधी कार्रवाई करने की तैयारियाँ की जा रही हैं। इसलिए अगर कार्यसमिति ने कोई कार्रवाई की होती, तो वह उसके प्रति अपनी नापसन्दगी जाहिर करने की ही होती। समिति वैसा करने को तैयार नहीं है। सुभाष बाबू जैसे महान व्यक्ति की गिरफ्तारी कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन सुभाष बाबू ने अपनी लड़ाई की योजना काफी सोच समझकर और हिम्मत के साथ सामने रखी है। वे मानते हैं कि उनका तरीका सबसे अच्छा है। वे ईमानदारी के साथ मानते हैं कि कार्यसमिति का रास्ता गलत है, और उसकी 'दीर्घसूत्रता' से कोई लाभ नहीं होनेवाला है। उन्होंने मुझसे बड़ी आत्मीयता से कहा कि 'जो कुछ कार्य समिति नहीं कर पायी, वे वह सब करके दिखा देंगे।' वे विलम्ब से ऊब चुके थे। मैंने उनसे कहा कि 'अगर आपकी योजना के फलस्वरूप मेरे जीवनकाल में स्वराज्य मिल गया तो आपको बधाई का सबसे पहला तार मेरी ओर से ही मिलेगा। आप जब अपना संघर्ष चला रहे होंगे, उस दौरान अगर मैं आपके तरीके का कायल हो गया तो मैं पूरे दिल से अपने नेता के रूप में आपका स्वागत करूँगा और आपकी सेना में भरती हो जाऊँगा।' लेकिन मैंने उन्हें आगाह कर दिया था कि उनका रास्ता गलत है।

"लेकिन मेरी राय की क्या वकत? जब तक वे किसी खास कार्य-पद्धति को सही मानते हैं, तब तक उसका अनुसरण करने का उन्हें अधिकार है, बल्कि यह उनका कर्तव्य है। उसे कांग्रेस पसन्द करे या नापसन्द, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उनसे कहा कि अगर आप कांग्रेस से बिलकुल त्याग पत्र दे दें तो यह ज्यादा ठीक होगा, मेरी सलाह उन्हें नहीं जँची। तथापि अगर उनका प्रयत्न फलीभूत होता है और भारत को आजादी मिल जाती है तो उनका विद्रोह उचित सिद्ध होगा और कांग्रेस उनके विद्रोह की निन्दा न करेगी। इतना ही नहीं, बल्कि त्राता के रूप में उनका स्वागत भी करेगी।"

"सत्याग्रह में स्वेच्छा से जेल जाने का अपना अलग श्रेय होता है। देश के किसी प्रचलित कानून को भंग करने पर की गयी गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जा सकती। इसके विपरीत, दस्तूर तो गिरफ्तार सत्याग्रही को बधाई देने और अन्य कांग्रेसजनों को उसका अनुकरण करने को आमंत्रिता करने का रहा है। स्पष्ट है कि सुभाष बाबू के मामले में समिति वैसा नहीं कर सकती थी। प्रसंगवश यह कह दूँ कि समिति ने अन्य बहुत-से प्रमुख प्रतिष्ठित कांग्रेसजनों की गिरफ्तारी और कैद की ओर भी ध्यान नहीं दिया है। इसका मतलब यह नहीं कि समिति ने उनके सम्बन्ध में कुछ महसूस नहीं किया है। लेकिन जीवन-संघर्ष में बहुत-से अन्यायों को मूक रहकर भी ग्रहण करना पड़ता है। यदि उसके पीछे विचार होता है तो उसे शक्ति उत्पन्न होती है, यदि वह तितिक्षा सही विवेक से युक्त होती है तो दुर्निवार भी बन जा सकती है।"

सुभाषचन्द्र बोस जब प्रेसीडेंसी जेल कलकत्ता में थे, तो महात्मा गांधी के सचिव महादेव भाई उनसे मिलने गये थे। उनके हाथ उन्होंने गांधीजी के लिए एक संदेश भेजा था कि अगर आप आंदोलन शुरू करेंगे तो मैं अपनी सेवा आपको सौंप दूँगा। इसी बात की चर्चा करते हुए और मौलाना आजाद के विरोध में सुभाष बोस ने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा—

प्रिय महात्माजी, 23 दिसम्बर, 1940

महादेव भाई जब मुझसे प्रेसिडेन्सी जेल में मिले थे तब मैंने उनके मार्फत आपको एक सन्देश भेजा था। मैंने उनसे आपको यह बताने का अनुरोध किया था कि यदि आप कोई आन्दोलन आरम्भ करेंगे तो हमारी सेवाएँ, वे जिस योग्य भी हैं, पूरी तरह आपको समर्पित

होंगी। मैंने उनसे आपसे यह अनुरोध करने को भी कहा था कि आप बंगाल में विवाद को समाप्त करने के लिए पहलकदमी करें, ताकि बंगाल प्रान्त अपनी पूरी ताकत से आंदोलन में शामिल हो सके। मैंने सोचा था, चूँकि आप अधिनायक नियुक्त किये गये हैं, अतः आप आसानी से कांग्रेस की ओर से इस मसले को हाथ में ले सकते हैं।

उस समय मेरी हार्दिक आशा यह थी कि आप एक जन-आंदोलन आरम्भ करेंगे, जैसा कि आपने 1921, 1930 और 1932 में किया था, हालाँकि महादेव भाई ने मुझे बताया था कि आप व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की बात सोच रहे हैं। आज यह स्पष्ट है कि आप द्वारा आरम्भ किया गया आंदोलन स्वतंत्रता की हमारी राष्ट्रीय माँग के मुद्दे पर नहीं है। न ही यह आंदोलन एक जनआंदोलन है। यदि सरकार युद्ध-विरोधी भाषणों की छूट दे दे तो मुझे लगता है कि आंदोलन समाप्त हो जाएगा। इसके बावजूद हम इस तरह के आंदोलन के साथ, हालाँकि इसका उद्देश्य और स्वरूप सीमित है, उस हद तक सहयोग करना चाहेंगे, जहाँ तक अपनी राजनीतिक स्थिति के साथ संगति रखते हुए हम वैसा कर सकते हैं। हम जानना चाहेंगे कि क्या आप हमारा सहयोग, वह जिस योग्य भी हो, स्वीकार करेंगे; और यदि हाँ, तो आप हमारे सहयोग के इस प्रस्ताव के सिलसिले में हमसे क्या करने की इच्छा रखेंगे? हमारा यह प्रस्तावित सहयोग इस अर्थ में बिना शर्त है कि कांग्रेस हाइकमान के विरूद्ध हमारी कुछ भी शिकायतें क्यों न हों, वे हमारे रास्ते में बाधक नहीं होंगी। अगर कभी हाइ कमान हमारे साथ अनुचित और अन्यायपूर्ण व्यवहार करेगा तो हमें उसी के अनुसार जवाब देना होगा। हमें इस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद के मनमाने और उद्धत कार्य के विरूद्ध लड़ना पड़ सकता है। लेकिन इसके कारण हम देश के सामने इस समय जो ज्यादा बड़े सवाल हैं उनकी तरफ से आँखें बन्द नहीं रखेंगे, और उन पर आप हमारा पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, जिस हद तक कि वह हमारी राजनीतिक स्थिति के साथ संगत है।

बंगाल की स्थिति के बारे में मैंने महादेव भाई को बताया था कि यदि आप एकता चाहते हैं तो आपके वैसा कहने भर की देर है, वह हो जाएगी। उसके लिए बस इतना ही जरूरी है कि आपके और मेरे भाई शरत बाबू के बीच बातचीत हो जाए। तब से स्थिति और खराब हो गयी है। जब से आपने इस मामले में खामोश और उदासीन रहना ठीक समझा है, मौलाना उस पागलपन के रास्ते पर अन्धाधुन्ध बढ़े चले जा रहे हैं जिसे वह अनुशासनात्मक कार्रवाई का नाम देते हैं। मैं उसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि अगर उनकी इच्छा है और वे चाहते हैं तो हम उन्हें वैसा ही जवाब देने को तैयार हैं। वे हमारी सार्वजनिक स्थिति पर तनिक भी असर नहीं डाल सकते। वे इस प्रान्त की जनता के सामने अपने को हास्यास्पद ही बना रहे हैं और इस तरह कांग्रेस के नाम को धूल में मिला रहे हैं। चूँकि मौलाना के कार्य को आपका मौन समर्थन प्राप्त लगता है, अतः मैं इस मामले में आपसे हस्तक्षेप करने को नहीं कह रहा हूँ। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि हम पर थोपे गये इस दुर्भाग्यपूर्ण उपदृश्य के बावजूद हमें बड़े सवालों पर परस्पर सहयोग करना चाहिए। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम सहयोग करने को उत्सुक हैं। पूरी ईमानदारी के साथ मैं आपको अपना सहयोग देने का प्रस्ताव कर रहा हूँ।

मैं यह पत्र अपने एक सम्बन्धी के हाथ भेज रहा हूँ जो नागपुर जा रहे हैं। मैंने उनको जवाब के लिए रुकने को कहा है।

आपका स्वास्थ्य कैसा है? अखबारों में फिर चिन्ताजनक खबरें आ रही हैं। मेरा स्वास्थ्य सुधर रहा है, लेकिन धीरे-धीरे।''

महात्मा गांधी ने इस पत्र के उत्तर में बहुत आत्मीयतापूर्ण पत्र सुभाष बोस को लिखा—

प्रिय सुभाष, 29 दिसम्बर, 1940

चाहे तुम बीमार हो या स्वस्थ, लेकिन अदम्य हो। किन्तु आक्रोश-प्रदर्शन से पहले स्वस्थ तो हो जाओ।

(इस विषय पर) मैंने मौलाना साहब के साथ सलाह-मशविरा नहीं किया है, किन्तु अखबारों में निर्णय पढ़कर मैं उसका समर्थन किये बिना नहीं रह सका। मुझे आश्चर्य होता है कि तुम अनुशासन और अनुशासनहीनता में भेद करने के लिए तैयार नहीं हो।

फिर भी, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ कि जहाँ तक लोकप्रियता का सवाल है, तुम दोनों ही मौलाना साहब से बढ़कर हो। किन्तु मनुष्य को लोकप्रियता के बजाय अन्तरात्मा को ऊँचा पद देना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि बंगाल में तुम दोनों के बिना सुचारु रूप से कार्य करना कठिन है और यह भी जानता हूँ कि तुम दोनों कांग्रेस के बिना भी अपना काम चला सकते हो। लेकिन कांग्रेस को भारी असुविधा के बावजूद किसी-न-किसी प्रकार अपना काम चलाना है।

सुरेश ने मुझे लिखा था कि शरत यहाँ आ रहे हैं और मैं इन्तजार करता रहा हूँ। वे जब चाहें आ सकते हैं और तुम भी आ सकते हो। तुम्हें मालूम ही है कि यहाँ तुम्हारी भली प्रकार से देखभाल होगी।

रही बात तुम्हारे ब्लॉक द्वारा सविनय अवज्ञा में शामिल होने की, तो मेरा ख्याल है कि तुम्हारे और मेरे विचारों में मौलिक रूप से जो भेद है उसे देखते ऐसा सम्भव नहीं है। जब तक हम दोनों में से कोई एक, दूसरे के विचारों का कायल नहीं हो जाता, तब तक हमें अपने-अपने तरीके से काम करना होगा, फिर चाहे दोनों का उद्देश्य एक ही क्यों न प्रतीत, केवल प्रतीत, होता हो।

फिलहाल हम एक-दूसरे से स्नेह रखें और एक ही परिवार के सदस्य बने रहें, जो हम वास्तव में हैं भी। —तुम्हारा बापू

विरासत

आँखों पर यह हमला क्यों?

❑ विनोबा

देश का आधार : शील

मैं चाहता हूँ कि सारे भारत की स्त्रियाँ शांति-रक्षा और शील-रक्षा का काम करें। इस समय भारत में चरित्र-भ्रंश का कितना आयोजन हो रहा है! उसका विरोध और प्रतिकार अगर बहनें नहीं करेंगी, तो फिर परमेश्वर ही भारत को बचाये, ऐसा कहने की नौबत आयेगी।

शहरों की जो दशा है, वह अत्यंत खतरनाक है। पढ़ी-लिखी लड़कियाँ शहर के रास्तों पर चलती हैं, तो लड़के उनके पीछे लगते हैं, यह क्या बात है? यह जो शील-भ्रंश हो रहा है, जिसमें गृहस्थाश्रम की प्रतिष्ठा ही गिर रही है, उसका विरोध करने के लिए बहनों को सामने आना चाहिए। माताओं को समझना चाहिए कि अगर देश का आधार शील पर नहीं रहा, तो देश टिक नहीं सकता। शिवाजी महाराज की सुप्रसिद्ध कहानी है। उनके एक सरदार ने लड़ाई जीती और एक यवन-स्त्री को वे शिवाजी महाराज के पास ले आये। शिवाजी महाराज ने उसकी तरफ देखकर कहा 'हे माँ, अगर मेरी माता तेरी जैसी सुंदर होती, तो मैं भी सुंदर होता' ऐसा कहकर उन्होंने उसे आदरपूर्वक विदा किया। ऐसी संस्कृति जिस देश में चली, उस देश में इतना चारित्र्य-भ्रंश हो और सारे लोग देखते रहें, यह कैसे हो सकता है?

हम कहाँ जा रहे हैं?

मनु महाराज ने स्मृति में स्त्रियों के लिए कितना आदर व्यक्त किया है!

उपाध्यायान् दशाचार्यः आचार्याणां शतं पिता।
सहस्रं तु पितृन् माता गौरवेणातिरिच्यते।।

दस उपाध्यायों के बराबर एक आचार्य होता है। सौ आचार्यों के बराबर एक पिता होता है और हजार पिताओं से भी एक माता का गौरव बड़ा है।

इतना महान् शब्द जिस भूमि में प्रवृत्त हुआ, जहाँ की संस्कृति में स्त्रियों के लिए इतना आदर था वहाँ दीवालों पर इतने भद्दे, गंदे चित्र खुलेआम दिखाये जायें और लड़कों के दिमाग इतने विषय-वासना से भरे हुए हों कि कन्याओं के पीछे लगने में ही उन्हें पुरुषार्थ मालूम होता हो, यह कितनी सोचनीय और लज्जाजनक बात है। आप जरा सोचिये कि हम कहाँ जा रहे हैं?

मातृत्व पर प्रहार

हमें इस हालत को रोकना होगा। आपकी पचासों राजनीतिक पार्टियाँ आज क्या कर रही हैं? किसी को यह सूझता नहीं कि शील-रक्षा हो। भारत में स्त्रियों के लिए इतना आदर है कि वेद में कहा है : ''अधिक सूक्ष्म बुद्धिवाली होती है, पुरुषों से उदार होती है। क्योंकि पुरुष परमेश्वर की आराधना, भक्ति, दातृत्व में कम पड़ता है। स्त्री माता होती है, वह पुरुष का दुःख जानती है। किसी को प्यास लगती है, तो वह जानती है। किसी को पीड़ा होती है, तो जानती है, और अपना मन हमेशा भगवान् की भक्ति में लगा रखती है।'' वेद को हमारे यहाँ मातृ-स्थान कहा है। ज्ञानदेव महाराज ने लिखा है—नाही श्रुति परौति माउली—श्रुति की जैसी माता नहीं है, जो दुनिया को अहित से बचाती है और हित में प्रवृत्त करती है। इस तरह श्रुति को माता की उपमा दी गयी है। इस मातृत्व पर आज इतना प्रहार होता है और हम सब खुलेआम उसे सहन कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि इससे प्रगति की राह खुलेगी। आपकी पचासों पंचवार्षिक योजनाएँ चलती हों, तो भी कोई काम नहीं होगा। केवल भौतिक उन्नति से देश ऊँचा नहीं उठता। जब शील ऊँचा उठता है, तब देश उन्नति करता है। आज तमाम माताएँ और बहनें प्रतिज्ञा करें कि शांति और शील रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहेंगी। पुरुषगण माताओं की इस प्रतिज्ञा में मदद करें जिससे कि भारत में फिर से धर्म का उत्थान हो।

धर्म स्थापना का कार्यारंभ

अभी तक धर्म बना ही नहीं था, केवल श्रद्धाएँ ही बनी थीं। ऐसा धर्म नहीं बना था, जिसके विरोध में जाने की किसी की इच्छा ही न हो। आज न सत्य-निष्ठा मान्य है, न अहिंसा-निष्ठा। लोग कहते हैं कि अमुक मौके पर सत्य ठीक है और अमुक मौके पर बे-ठीक। हमेशा सत्य ठीक ही है, ऐसा नहीं कहा जाता। आज निरपवाद, हर परिस्थिति में सत्य पर चलने में फायदा ही होनेवाला है और सत्य पर न चलें तो नुकसान ही होनेवाला है—ऐसा न व्यक्तिगत क्षेत्र में माना गया है और न सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में। सभी क्षेत्रों में अहिंसा के लिए भी ऐसा निःशंक विश्वास पैदा होना अभी बाकी है। भले ही हिंदू, मुसलमान आदि धर्मों के आचार्यों ने धर्म को समझाने की कोशिश की हो, फिर भी वह सफल नहीं हुई। अब विज्ञान का जमाना आया है। सारी दुनिया को अध्यात्म का आधार लेना होगा। पांथिकता खतम करनी होगी। विज्ञान के जमाने में राजनीति और पांथिक धर्म को छोड़ना होगा और आध्यात्मिकता स्वीकार करनी होगी। इसका मूलारंभ शांति-रक्षा और शील-रक्षा के कार्य से होगा। हम अगर इस काम को उठायेंगे तो फिर पचासों मसले हल करने की शक्ति भगवान् हमें देगा।

बच्चों को कु-संस्कारों से बचाएँ

शहरों में बड़े-बड़े इश्तिहार लगे रहते हैं, उनका बच्चों पर असर होता है। वे सहज ही पूछ लेते हैं कि यह क्या है? बच्चों पर ज्यादा असर बाहरी दृश्य का होता है। खाने बैठा है और चिड़ियाँ उड़ रही है, तो उसका ध्यान फौरन चिड़ियों की तरफ जाएगा। भूख लगी है, खाना मीठा भी लग रहा है, फिर भी चिड़ियाँ को उड़ते देखता है तो फौरन उसका

ध्यान उसी की तरफ आकर्षित हो जाता है। वैसे बाहर कोई भी स्वरूप बच्चा देखता है, तो वह आकर्षित होता है। उसके दिमाग पर देखने का असर होता है। बच्चा अक्षर सीखता है, तो एकाग्र होकर पढ़ता है और चित्र देखता है। ऐसे अपरिपक्व मन के बच्चे पर इन गंदे चित्रों का क्या संस्कार होता होगा? ऐसी हालत में तालीम का कोई अर्थ ही नहीं रहता। इसलिए मैं बहुत तीव्रता से सोचता हूँ। नागरिकों को चाहिए कि वे भी इस बारे में सोचें। मकान वाले अपने मकान पर बड़े-बड़े अक्षरों में इश्तिहार लगाने देते हैं, तरह-तरह की तसवीरें लगाने देते हैं, उसके उनको पैसे मिलते होंगे। लेकिन यह पैसा विनाशक है।

अशोभनीयता तुरंत हटाएँ

इंदौर में बहुत दिन रहने के कारण मैंने वहाँ भद्दे पोस्टर देखे, तो मेरी आत्मा में बहुत गहरी ग्लानि पैदा हुई। मैंने कहा कि ये पोस्टर हटने चाहिए। यदि कानून से नहीं हट सकते हैं, तो धर्म से हटे। धर्म, कानून से ऊँचा होता है, बढ़कर होता है। जो कानून धर्म का रक्षण नहीं कर सकता, उस कानून की दुरुस्ती के लिए कानून भंग करने की जरूरत महसूस होती है।

इंदौर की कुछ प्रतिष्ठित बहनें सिनेमा वालों के पास गयीं थीं। उन्होंने बहनों से पूछा कि 'अशोभनीय' की आपकी व्याख्या क्या है? तब बहनों ने जवाब दिया—''जिन पोस्टरों को माता-पिता अपने बच्चों के साथ नहीं देख सकते, ऐसे पोस्टर अशोभनीय हैं और वे हटने चाहिए।'' इससे अधिक माकूल जवाब नहीं हो सकता। यदि कहा जाय कि कानून उनके पक्ष में है, तो अब परमेश्वर से पूछना होगा। सबसे बेहतर कानून परमेश्वर का है। हम उससे पूछेंगे कि कौन-सा कानून हमारे पक्ष में है?

मैं सिनेमा-उद्योग या अन्य उद्योगों के खिलाफ सत्याग्रह नहीं कर रहा हूँ। मैं तो विज्ञान का कायल हूँ। उसके अंतर्गत सिनेमा का विकास हो, ऐसा चाहूँगा। अच्छे सिनेमा या चित्र निकलें, निकलते भी हैं। तुलसीदास और तुकाराम के जीवन-चरित्र की फिल्में बनी हैं। मैं कहता हूँ कि अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय हुए बिना विकास संभव नहीं है। उसके बिना दुनिया नहीं बचेगी। गलत सिनेमा बंद करना हो, तो वैसा जनमत पैदा करना होगा। बड़ी चीज को बदलने का वही मार्ग है। सत्याग्रह में कम से कम चीज होती है और वह ऐसी चीज कि जिसके लिए सबकी करीब-करीब एक राय हो सकती है। सिनेमा देखने के लिए तो लोग पैसा देकर जाते हैं। अच्छा सेंसर हो, वह माँग की जा सकती है। इसके लिए मन-परिवर्तन करना होगा, प्रचार करना होगा। उसमें सत्याग्रह की बात नहीं आती।

हर नागरिक जागरूक रहे

लेकिन ये पोस्टर तो रास्ते में होते हैं और हरएक की आँखों पर उनका आक्रमण होता है। शहरों में नागरिकों को, सड़क पर चलनेवाली बहनों का शरमिंदा होना पड़ता है। नीची निगाहें करनी पड़ती हैं। इससे बढ़कर कौन-सी चीज हो सकती है? आम रास्ते पर चलनेवाले नागरिकों की आँखों पर हमला करने का किसी को क्या हक है? मैं किसी धंधे के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन मेरी आँख पर हमला करने का अधिकार आपको नहीं है। मुझे दुःख इस बात का है कि इससे गृहस्थाश्रम की बुनियाद ही उखाड़ी जा रही है। अगर किसी को ऐसे पोस्टर लगाने हों, तो अपने रंगमहलों में लगाये। सौंदर्य-दृष्टि भिन्न-भिन्न हो सकती है।

लेकिन हरएक नागरिक को अपने कर्त्तव्य के बारे में जागरूक रहना चाहिए। अपने अधिकारों के बारे में इतनी मंदता नागरिकों में आयी है, यह ठीक नहीं है। सब लोग इस चीज को महसूस करते हैं, शिकायत करते हैं, पर कुछ कर नहीं सकते। यह लाचारी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए।

मैं 'अश्लील' शब्द का प्रयोग नहीं करता हूँ। अश्लील तो कहीं भी बर्दाश्त नहीं होगा। मैं 'शोभनीय' और 'अशोभनीय' की बात कहता हूँ। मुमकिन है कि जो चीज यहाँ अशोभनीय होगी, वह लंदन में शोभनीय मानी जाय। भारत में और लंदन में अश्लील तो करीब-करीब एक ही होगा। लेकिन शोभनीय और अशोभनीय में फरक हो सकता है। अशोभनीय पोस्टर या चित्र कोई खुलेआम उपस्थित करे और लोग उसे बर्दाश्त करें, यह अनुचित है।

विषय-वासना की अनिवार्य शिक्षा फौरन बंद हो

इंदौर में जगह-जगह गंदे पोस्टर हमने देखे। हमने कहा कि—ये पोस्टर ''यानी बच्चों के लिए फ्री अँड कम्पल्सरी एज्युकेशन इन सेन्स्युऑलिटी''—विषय वासना की मुफ्त और लाजमी तालीम है। इसका दूसरा कोई अर्थ नहीं है। बच्चों के लिए बड़े-बड़े अक्षर पढ़ने के लिए हम लेते हैं—जैसे 'ग' यानी 'गधा' और उसका चित्र भी रहता है, जिससे बच्चा दिलचस्पी से पढ़े। लेकिन पाठ्य-पुस्तक में जितना बड़ा अक्षर होता है, उससे बहुत बड़ा अक्षर और चित्र पोस्टर पर होता है। ऐसे मुफ्त और प्राथमिक तालीम बच्चों को दी जाती है, यह देखकर मेरे दिल में अत्यंत व्यथा हुई और चित्त में इतना तीव्र आदेश हुआ कि ऐसे काम के लिए प्राण-त्याग भी कर सकते हैं, ऐसा लगा।

इसके रहते 'बुनियादी तालीम' का कोई अर्थ ही नहीं रहता। मुझे आश्चर्य होता है कि इसके रहते हमारी सरकार इतनी गाफ़िल कैसे है! कितना अंधाधुंध कारोबार है, कितना अज्ञान है! ऐसी सरकार की हस्ती भी समाज के लिए भयानक मालूम होती है। इसके रहते समाज में नैतिक वातावरण नहीं रह सकता। देश फिर से गुलाम हो सकता है।

जहाँ इतना दारिद्र्य है, दवा का इन्तजाम नहीं, तालीम अच्छी नहीं, जहाँ विज्ञान नहीं, जहाँ पौष्टिक खुराक नहीं, उस देश में बच्चों को बचपन से ऐसी तालीम मिलती है, तो उससे समाज निर्वीर्य होगा। वह न हिंसा की लड़ाई लड़ सकेगा, न अहिंसा की। इसलिए मैं इससे बहुत व्यथित हुआ। गंदे पोस्टर देखकर मेरे दुःख की सीमा नहीं रही। इस प्रकार का वासना का निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षण जो चल रहा है वह फौरन बंद होना चाहिए। (1960 के प्रवचनों से) ❑

टीपू सुल्तान साम्प्रदायिक नहीं

❑ डॉ. विशम्भरनाथ पाण्डेय

जब मैं इलाहाबाद में 1928 ई. में टीपू सुल्तान के संबंध में रिसर्च कर रहा था, तो एंग्लो बंगाली कॉलेज के छात्र संगठन के कुछ पदाधिकारी मेरे पास आए और अपनी 'हिस्ट्री-एसोसिएशन' का उद्घाटन करने के लिए मुझको आमंत्रित किया। ये लोग कॉलेज से सीधे मेरे पास आये थे। उनके हाथों में कोर्स की किताबें भी थीं, संयोगवश मेरी निगाह उनकी इतिहास की किताब पर पड़ी। मैंने टीपू सुल्तान से संबंधित अध्याय खोला तो मुझे जिस वाक्य ने बहुत ज्यादा आश्चर्य में डाल दिया, वह यह था : 'तीन हजार ब्राह्मणों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि टीपू उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाना चाहता था।'

इस पाठ्य-पुस्तक के लेखक महामहोपाध्याय डॉ. हरप्रसाद शास्त्री थे जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में संस्कृत के विभागाध्यक्ष थे। मैंने तुरंत डॉ. शास्त्री को लिखा कि उन्होंने टीपू सुल्तान के संबंध में उपरोक्त वाक्य किस आधार पर और किस हवाले से लिखा है। कई पत्र लिखने के बाद उनका यह जवाब मिला कि उन्होंने यह घटना 'मैसूर गजेटियर' से ली है। मैसूर गजेटियर मुझे न तो इलाहाबाद में और न ही इम्पीरियल लाइब्रेरी, कलकत्ता में प्राप्त हो सका। तब मैंने मैसूर विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति सर बृजेन्द्र नाथ सील को लिखा कि डॉ. शास्त्री ने जो बात कही है, उसके बारे में जानकारी दें। उन्होंने मेरा पत्र प्रोफेसर श्री कन्टइया के पास भेज दिया जो उस समय मैसूर गजेटियर का नया संस्करण तैयार कर रहे थे।

प्रोफेसर श्री कन्टइया ने मुझे लिखा कि तीन हजार ब्राह्मणों की आत्महत्या की घटना 'मैसूर गजेटियर' में कहीं भी नहीं है और मैसूर के इतिहास के एक विद्यार्थी की हैसियत से उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि इस प्रकार की कोई घटना घटी ही नहीं है। उन्होंने मुझे सूचित किया कि टीपू सुल्तान के प्रधानमंत्री पुनैया नामक एक ब्राह्मण थे और उनके सेनापति भी एक ब्राह्मण कृष्णराव थे। उन्होंने मुझको ऐसे 156 मंदिरों की सूची भी भेजी, जिन्हें टीपू सुल्तान वार्षिक अनुदान दिया करते थे। उन्होंने टीपू सुल्तान के तीस पत्रों की फोटो कापियाँ भी भेजीं जो उन्होंने शृंगेरी मठ के जगद्गुरु शंकराचार्य को लिखे थे और उनके साथ सुल्तान के अति घनिष्ठ मैत्री संबंध थे। मैसूर के राजाओं की परम्परा के अनुसार टीपू सुल्तान प्रतिदिन नाश्ता करने से पहले रंगनाथजी के मंदिर में जाते थे जो श्रीरंगापतनम के किले में था। प्रोफेसर श्री कन्टइया के विचार में डॉ. शास्त्री ने यह घटना कर्नल माइल्स की किताब 'हिस्ट्री ऑफ मैसूर' (मैसूर का इतिहास) से ली होगी। उसके लेखक का दावा था कि उसने अपनी किताब 'टीपू सुल्तान का इतिहास' एक प्राचीन फारसी पांडुलिपि से अनुदित की है, जो महारानी विक्टोरिया के निजी लाइब्रेरी में थी। खोजबीन से मालूम हुआ कि महारानी की लाइब्रेरी में ऐसी कोई पांडुलिपि थी ही नहीं और कर्नल माइल्स की किताब की बहुत-सी बातें बिल्कुल गलत एवं मनगढ़ंत हैं।

डॉ. शास्त्री की किताब पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश एवं राजस्थान में पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृत थी। मैंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति सर आशुतोष चौधरी को पत्र लिखा और इस सिलसिले में अपने सारे पत्र-व्यवहारों की नकलें भेजीं और उनसे निवेदन किया कि इतिहास की इस पाठ्य-पुस्तक में टीपू सुल्तान से संबंधित जो गलत और भ्रामक वाक्य आये हैं, उनके विरूद्ध समुचित कार्रवाई की जाए। सर आशुतोष चौधरी का शीघ्र ही यह जवाब आ गया कि डॉ. शास्त्री की उक्त पुस्तक को पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है। परंतु मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि आत्महत्या की वही घटना 1972 ई. में भी उत्तर प्रदेश में जूनियर हाईस्कूल की कक्षाओं में इतिहास के पाठ्यक्रम की किताबों में उसी प्रकार मौजूद थी। इस सिलसिले में महात्मा गांधी की टिप्पणी भी पठनीय है जो उन्होंने अपने अखबार 'यंग इंडिया' में 23 जनवरी 1930 ई. के अंक में पृष्ठ 31 पर की थी। उन्होंने लिखा था कि—

''मैसूर के टीपू सुल्तान को विदेशी इतिहासकारों ने इस प्रकार पेश किया है कि मानो वह धर्मांधता का शिकार था। इन इतिहासकारों ने लिखा है कि उसने हिंदू प्रजा पर जुल्म ढाए और उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत थी। हिंदू प्रजा के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध थे।... मैसूर राज्य के पुरातत्व विभाग के पास ऐसे तीस पत्र हैं जो टीपू सुल्तान ने शृंगेरी मठ के जगद्गुरु शंकराचार्य को लिखे थे। इनमें से एक पत्र में टीपू सुल्तान ने शंकराचार्य से निवेदन किया कि वे मैसूर लौट आयें क्योंकि किसी देश में अच्छे लोगों के रहने से वर्षा होती है, फसल अच्छी होती है और खुशहाली आती है। 'टीपू सुल्तान ने हिंदू मंदिरों विशेष रूप से श्री वेंकटरमण, श्रीनिवास और श्रीरंगनाथ मंदिरों को जमीनें एवं अन्य वस्तुओं के रूप में बहुमूल्य उपहार दिये। कुछ मंदिर उसके महलों के अहाते में थे। यह उसके खुले जेहन, उदारता एवं सहिष्णुता का जीता-जागता प्रमाण है। टीपू ने आजादी के लिए लड़ते हुए जान दे दी और दुश्मन के सामने हथियार डालने के प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया। उसके ये ऐतिहासिक शब्द आज भी याद रखने योग्य हैं : ''शेर की एक दिन की जिंदगी लोमड़ी के सौ सालों की जिंदगी से बेहतर है।'' ❑

हुजूर-मजूर का भेद मिटाना होगा

❑ धीरेन्द्र मजूमदार

समाज आज दो निश्चित तथा विरोधी वर्गों में विभाजित हो गया है। एक वर्ग उत्पादन करता रहता है। साधारण भाषा में कहना होगा कि एक मेहनत करके खाता है और दूसरा दलाली करके और हम अक्सर एक को 'मजदूर' और दूसरे को 'हुजूर' कहते हैं।

वर्ग-विषमता की यह सामाजिक समस्या कोई स्वतंत्र समस्या नहीं है। यह राजनैतिक तथा आर्थिक केन्द्रीकरण का नतीजा मात्र है। इस बात को विशेष रूप से समझना चाहिए। आखिर हुजूर लोग मजूरों का शोषण किस तरह करते हैं। इस पर से बचपन में गढ़ी हुई बिल्ली और बन्दर की एक छोटी-सी कहानी याद आती है। दो बिल्लियाँ मेहनत करके रोटियाँ लायी थीं और बन्दर उस रोटी का माकूल बँटवारा करने के बहाने उसे खा गया। उसी तरह मजदूर रोटी का उत्पादन करता है और हुजूर लोग इंतजाम करने के बहाने वह रोटी खा जाते हैं। मजदूर केवल पेट पर हाथ रखकर ताकते रहते हैं।

यही कारण है कि आज संसार में चारों ओर वर्गहीन समाज कायम करने की माँग सुनाई पड़ती है, लेकिन यह वर्गहीन समाज कायम कैसे हो? अगर दुनिया में एक ही वर्ग रखना हो तो वह मजदूरों का यानी श्रमिकों का एक ही वर्ग हो सकता है, क्योंकि हुजूर-वर्ग यानी व्यवस्थापक-वर्ग अकेले अपने पैर पर खड़ा नहीं रह सकता। अतः वर्गहीन समाज कायम करने के लिए आवश्यक है कि इस हुजूर वर्ग का लोप हो। इस वर्ग को विघटित करने का तरीका तभी मालूम हो सकेगा, जब हम इसके संगठित होने के इतिहास को समझ लें।

मानव-समाज के प्रथम युग में सभी लोग मजदूर थे—सब उत्पादन करके खाते थे। सब सहयोगिता के आधार पर झुंड में रहते थे। इसी कारण भारतीय ग्रंथों में लिखा है कि सतयुग में एक ही वर्ग था। बाद में जब समाज में प्रतियोगिता का आविर्भाव हुआ तथा आपसी संघर्ष के नतीजे हिंसा होने लगी, तब मनुष्य ने राजा की सृष्टि की, यानी राज्य के रूप में एक ऐसी संस्था की सृष्टि की, जिससे कुछ लोग बिना उत्पादन किये व्यवस्था करके अपना गुजारा कर सकते थे। इस तरह राज्य-पद्धति के आविष्कार से हुजूर-वर्ग की सृष्टि हुई। जैसे-जैसे राज्य-प्रथा विकेन्द्रित और विस्तृत होती गयी, वैसे-वैसे उसी के सहारे हुजूर वर्ग का विस्तार हुआ। उसी तरह मनुष्य ने श्रम टालने के लिए पूँजी के आधार पर जिस उत्पादन पद्धति का आविष्कार किया, उसी पद्धति के अनुसार उद्योग-धंधों के संचालन तथा उत्पादित सामग्री के वितरण के बहाने एक दूसरी जाति के हुजूरों की विराट फौज खड़ी हो गयी। दोनों मिलकर मजदूर पर इतना बोझ हो गया कि आज मजदूर उसके नीचे दबकर मरता जा रहा है।

फलतः राजनैतिक तथा आर्थिक केन्द्रीकरण के नतीजे से आज मजदूरों के कंधों पर हुजूरों के बोझ की वृद्धि के कारण केवल मजदूर ही दबकर मर रहा है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि संख्याधिक्य होने के कारण हुजूर लोगों को भी मजदूरों के शरीर से इतना रस नहीं मिल रहा है, जिससे वे मोटे-ताजे रह सकें, इसलिए वे भी सूखकर मर रहे हैं। इस प्रकार आज दोनों के सामने संकट खड़ा है यानी सारा संसार ही वर्ग-विषमता की आग से भस्म होना चाहता है। ऐसी हालत में आवश्यकता इस बात की है कि तत्काल और तुरन्त एक महान क्रांति द्वारा पूर्णरूप से एकवर्गीय समाज कायम हो, अर्थात् हुजूर-वर्ग के विघटन से मजदूरों का ही एक अर्द्धतबाही समाज कायम हो।

प्रश्न रह जाता है कि इस क्रांति की प्रक्रिया क्या हो? दो ही तरीके हो सकते हैं, एक वर्ग-संघर्ष का हिंसात्मक तरीका, दूसरा वर्ग-परिवर्तन की अहिंसात्मक क्रांति। एक विनाशकारी तरीका, दूसरा क्रांतिकारी तरीका। पहले तरीके से मजदूर द्वारा हुजूरों के उन्मूलन की चेष्टा होगी और दूसरे तरीके से हुजूर मजदूर बनकर मजदूरों में विलीन होंगे। पहले की दूसरे मुल्कों में काफी आजमाइश हो चुकी है और हमने देखा कि उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। बल्कि एक समस्या से निकलकर दूसरी उससे जटिल समस्या के नीचे समाज पड़ जाता है। रूस में वर्ग-उन्मूलन की चेष्टा हमने देखी। वहाँ हुजूर वर्ग खत्म न हुआ। उनकी केवल चोटी ही कट गयी। सारा शरीर ज्यों का त्यों रह गया। पूँजीपतियों का नाश हुआ सही। लेकिन वहाँ इतना जबरदस्त एक व्यवस्थापक राज्य कायम हुआ कि इस व्यवस्था के नाम पर ही हुजूर-वर्ग का इतना अधिक संगठन हो गया है कि मजदूर पूर्णरूप से उसके नीचे दब गया है। पूँजीपतिरूपी चोटी रहने पर जनता कभी उसे पकड़ भी सकती थी, लेकिन अब तो उससे भी हाथ धो बैठी और एक भयंकर संगठित दल की मुट्ठी के नीचे चली गयी।

इसलिए गांधीजी वर्ग-परिवर्तन की अहिंसक क्रांति करने का आवाहन करते रहे हैं। वे हुजूर-वर्ग को सामाजिक उत्पादन में शामिल होकर उत्पादक-वर्ग में विलीन होने के लिए कहते थे और इसका सक्रिय कार्यक्रम देश के सामने रखते थे। सन् 1945 में जेल से निकलते ही उन्होंने कहा कि ''अंग्रेज जा रहे हैं और शायद हम जैसा समझते हैं उससे जल्दी ही जायेंगे अब हमें शोषणहीन समाज कायम करने के लिए सक्रिय कदम उठाना है।'' (सर्व सेवा संघ प्रकाशन द्वारा प्रकाशित ग्रंथ 'लोकक्रांति पाथेय' से उद्धृत)

प्रस्तुति : बद्रीनाथ सहाय

बाबा साहब अम्बेडकर : परिपूर्ण विचार के संवाहक

❑ राजीव मिश्र

डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर निर्भय क्रांतिवीर थे। उनकी व्यथा अपार थी। सवर्ण समाज के अत्याचारों से उन्हें दलित समाज को ऊपर तो उठाना था, किंतु बदले की भावना से नहीं। उन्होंने दूसरों को मार-काटकर बड़ा होने की बात कभी नहीं की बल्कि उनका मानना था कि ''अपने सत्य को, अपने अस्तित्व को पूरी शक्ति से समाज के सामने रखने की मैं प्रेरणा दूँगा।''

वे कर्मवादी सिद्धांत के पक्षधर थे तथा कठोर एवं दीर्घकालिक कार्य अपने हाथ में लेते थे। उनका मानना था कि ''मैं कह सकता हूँ कि मेरा अपने मन और शरीर दोनों पर पूर्ण अधिकार है। जब मैं किसी कार्य का दृढ़ संकल्प लेता हूँ तब कुर्सी पर डटकर बैठ जाता हूँ और भूल जाता हूँ कि दुनिया कहाँ और क्या है? काम की सफलता के लिए चित्त की एकाग्रता सबसे महत्त्वपूर्ण बात है अर्थात् काम करते समय उसमें तल्लीन होना, इसके बिना तुम काम की तह तक नहीं पहुँच सकते।''

अम्बेडकर मानते हैं कि भारत की एकता बहुत प्राचीन है। यही सांस्कृतिक एकता है। सांस्कृतिक एकता को बनाए रखना ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। वह कहते हैं कि ''यह देश हजारों वर्षों से अपनी सांस्कृतिक समरसता एवं विशिष्टता के कारण ही संगठित है। भारत सांस्कृतिक रूप से अत्यन्त गुँथा हुआ है। इसी आधार पर मेरा यह कहना है कि इस प्रायद्वीप को छोड़कर संसार का कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें इतनी सांस्कृतिक समरसता हो। हम केवल भौगोलिक दृष्टि से ही सुगठित नहीं हैं बल्कि हमारी सुनिश्चित सांस्कृतिक एकता अविछिन्न और अटूट है जो देश की चारों दिशाओं में व्याप्त है।''

सामाजिक न्याय एवं समतामूलक समाज की स्थापना बाबा साहब के जीवन का मुख्य लक्ष्य था। समाज में व्याप्त अन्यायपूर्ण व्यवस्था के प्रति उनका विद्रोह अनेक रूपों में प्रकट हुआ। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने 'मूक नायक' और 'बहिष्कृत भारत' में लेख लिखे। डॉ. अम्बेडकर अपने विद्यार्थी जीवन में, पश्चिमी चकाचौंध में कत्तई नहीं फँसे और उन्होंने भारतीय जीवनशैली को ही प्रमुखता दी। उन्होंने स्वयं आत्मसंयम, मितव्ययिता और नियंत्रित इच्छाओं का जीवन जिया। उन्होंने ऐसा मार्ग अपनाया जिसमें न्यूनतम इच्छाओं पर आधारित जीवन को उत्कृष्ट माना गया है, सम्यक आजीविका पर बल दिया गया है और भौतिक उपलब्धियों की दौड़ की अपेक्षा शील आधारित मानव मूल्यों को सद्गुणी कहा गया है। जबकि वर्तमान भारतीय समाज के धनाढ्य पश्चिमी उपभोक्तावाद की ओर बहुत आकर्षित हो रहे हैं, जो चिन्ताजनक है?

शिक्षा के निहितार्थ को उल्लेखित करते हुए बाबा साहब ने कहा था ''दलित वर्ग का मूल प्रश्न यह है कि उन्हें इस बात का अहसास करा देना कि किन कारणों से उनकी प्रगति बाधित होती है और दूसरे का दास बनकर रहना पड़ता है। उनकी वह हीन ग्रंथि दूर कर, वर्तमान समाज-प्रणाली के कारण उनकी लूट हुई है, इसका उनके स्वयं के लिए और राष्ट्र की दृष्टि से अधिक महत्त्व है। उच्च शिक्षा के प्रसार के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य से यह साध्य नहीं होगा। हमारे सारे सामाजिक दुःख की यही एकमात्र औषधी है।''

उन्होंने शिक्षा पर काफी जोर दिया था। शिक्षा को सर्व समावेश का एक माध्यम माना था। उनको पूर्ण विश्वास था कि राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा के साथ वंचितों को जोड़ने के लिए शिक्षा सर्वोत्तम संसाधनों में से एक है। इसीलिए उन्होंने शिक्षा के विस्तार और प्रोत्साहन पर अत्यन्त जोर दिया तथा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने पर भी बल दिया था। उन्होंने नैतिकता को पवित्र या सामान्य बनाने के लिए तीन बातों को महत्त्वपूर्ण माना। पहली, उत्तम लोगों की सुरक्षा करने की आवश्यकता। दूसरी, समान हित करना और तीसरी व्यक्तिगत विकास की सुरक्षा करना। उनके अनुसार नैतिकवाद या नैतिकता का मूल उद्देश्य समाज में न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। उत्तम समाज व्यवस्था वह है जो सब नागरिकों को प्रगति के अवसर प्रदान करे, जिससे सभी को मकान, वस्त्र, भोजन, शिक्षा, इलाज, स्वच्छ वातावरण आदि सुविधाएँ प्राप्त हों। वर्तमान स्थापित व्यवस्था जो सदियों से भेदभाव और अन्याय को संरक्षण प्रदान करती रही है, के प्रति उनकी असहमति एवं विरोध को प्रकट करती है। परम्परागत हिन्दू व्यवस्था, धर्म, दर्शन एवं चिंतन में जहाँ कहीं भी घोर नजर आयी उस पर खोट करने से वे नहीं चूके।

समाज में व्याप्त भेदभाव, शोषण व अन्याय की प्रकृति एवं कारणों का उन्होंने बारीकी से विश्लेषण किया और इसके लिए उत्तरदायी स्वार्थी तत्त्वों की कारगुजारियों को उजागर कर उन पर तीखे प्रहार किये। उनकी रचनाओं में 'हू वेयर द शूद्राज द अनटचेबल्स' →

कर्ज माफी : किसान बनाम कॉरपोरेट्स

❑ किशनगिरि गोस्वामी

भारत में सरकार द्वारा पूँजीपतियों को प्रत्यक्ष-परोक्षरूप से कई तरह का सहयोग दिया जाता रहा है। इसी तरह की एक सहायता ''नॉन परफार्मिंग असेट्स'' (एन.पी.ए.) के द्वारा दी जाती है। एन.पी.ए. उन ऋणों को कहा जाता है, जिन्हें लेनेवाले समूह/संस्था या व्यक्ति चुका नहीं पाते और एक कालावधि के बाद उन्हें प्राप्त न होनेवाले कर्जों में डाल दिया जाता है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के.सी.चक्रवर्ती ने बैंकों की सालाना बैठक (कान्फ्रेंस) में बताया कि बैंकों ने पिछले 13 वर्षों में कॉपरपोरेट समूहों को दिए गए लगभग एक लाख करोड़ रुपये कर्जे को एन.पी.ए. में डाला है। यह माफी 2008 में देश में आत्महत्या कर तबाह हुए किसानों को माफ किए गए कर्जे से बहुत ज्यादा है। तब किसानों की बदत्तर जीवन परिस्थितियों के कारण 60 हजार करोड़ रुपये के ऋण माफ किए गए थे (यह बात जुदा है कि इस राशि में से वास्तव में तबाह हुए किसानों को कितना मिला होगा?) तब कॉरपोरेट समूहों ने मनमोहन सरकार की बहुत आलोचना की थी। आज वही कॉरपोरेट्स हजारों करोड़ रुपये की सहायता ले रहे हैं।

पूँजीपतियों की मदद के लिए तेजी से आर्थिक विकास करनेवाली मोदी सरकार कर्ज माफी मामले में भी पूँजीपतियों का भरपूर सहयोग कर रही है। नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने के बाद सन् 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 में एन.पी.ए. में 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। एक तरफ तो किसानों-मजदूरों एवं मेहनतकशों को मिलनेवाली न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा तक को एक-एक कर कम या खत्म किया जा रहा है, वहीं पूँजीपतियों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष तरीकों से करोड़ों रुपये की छूट या माफी दी जा रही है। यही है मोदी का ''सबका साथ, सबका विकास?'' ऑल इण्डिया बैंक इम्पलाइज एसोसिएशन ने एक सूची जारी कर बताया है कि प्रमुख 50 कर्जदारों पर कुल एन.पी.ए. का लगभग 50.528 करोड़ रुपये कर्ज हैं, जिनमें कई प्रमुख कॉरपोरेट फर्म शामिल हैं। उनकी सूची के अनुसार शीर्ष 10 बकायेदार निम्नानुसार हैं—

कम्पनी का नाम	बैंको का बकाया
1. किंगफिशर एयर लाइन	2.673 करोड़
2. विनसम डायमंड एंड ज्वैलरी	2.660 करोड़
3. इलेक्ट्रोथर्म इंडिया लि.	2.221 करोड़
4. जूम डेवलपर्स प्रा.लि.	1.810 करोड़
5. स्टर्लिंग बायोटे लि.	1.732 करोड़
6. एस.कुमार नेशनवाइड लि.	1.692 करोड़
7. सूर्या विनायक इंडस्ट्रीज	1.444 करोड़
8. कॉरपोरेट इस्पत एल्लौर लि.	1.360 करोड़
9. फार एवर प्रीसीयस ज्वैलरी एंड डायमंड्स	1.254 करोड़
10. स्टलिंग ऑयल रिसोर्सेज लि.	1.197 करोड़

इतना ही नहीं, कई बड़े कॉरपोरेट समूहों में सरकारी बैंकों का बहुत ही ज्यादा कर्ज लम्बे समय से बकाया है, जिसका वे समय पर भुगतान नहीं कर रहे हैं। क्रेडिट सुईस रिपोर्ट के अनुसार अधिक कर्जवाले औद्योगिक घरानों की सूची इस प्रकार है—(1) रिलायंस ए.डी.ए.जी 1.14 लाख करोड़ (2) एस्सार ग्रुप 1.01 लाख करोड़ (3) वेदान्ता ग्रुप 79,433 करोड़ (4) अडानी ग्रुप 74,900 करोड़ (5) जे.पी.ग्रुप 61,285 करोड़ (6) जे.एस.डब्ल्यू ग्रुप 56000 करोड़ (7) जी.आर.एम.ग्रुप 48000 करोड़ (8) वीडियोकॉन ग्रुप 45000 करोड़ (9) लैंको

→

और खासतौर पर 'एनहिलेशन ऑफ कास्ट' भारत में विद्रोह एवं संघर्ष विषयक साहित्य के उत्कृष्ट नमूने हैं। अम्बेडकर कहते थे कि पहले शिक्षित हो, संगठित हो तब संघर्ष करो। उनकी मान्यता थी कि खोए हुए अधिकार याचना से नहीं मिलते। इसके लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने दलितों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष का आह्वान किया।

उन्होंने राष्ट्रीय चरित्र की बात की थी। आज हम अपने आप से भी ईमानदार नहीं हैं। व्यक्तिगत निष्ठा सबसे बड़ी चीज होती है। लेकिन इसकी चिन्ता अब किसे है? हम भ्रष्टाचार, घूसखोरी, जैसी तमाम बातों को देखते हैं लेकिन राष्ट्रीय चरित्र बनाने की बात नहीं करते। हम अपनी जिम्मेदारियाँ और निष्ठा दूसरों पर थोप कर निश्चिंत हो जाते हैं। इसी कारण देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है। निष्ठा की कमी भारतीय चरित्र को दूषित कर रही है। यह चिन्ता का विषय है।

वह इस बात से परिचित थे कि पूर्व और पश्चिम की अर्थनीतियों में अंतर है। वह स्वयं विदेशों में पढ़े-लिखे, घूमे-फिरे, किन्तु वहाँ की अर्थनीति की संरचना का लक्ष्य उन्हें भाया नहीं। वहाँ के जीवन का मूल उद्देश्य आवश्यकताओं की वृद्धि और उनकी अधिकतम संतुष्टि है अर्थात् जितनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, उतना ही उच्च जीवनस्तर माना जायेगा। बाबा साहब की सामाजिक एवं नैतिकवादी विचारधारा को अपनाने की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। (सप्रेस)

ग्रुप 40000 करोड़ (10) जे.वी.के. ग्रुप 25000 करोड़।

देश के सरकारी बैंकों के लिए फँसे हुए कर्जों के प्रावधान में भारी बढ़ोतरी ने उनके मुनाफे पर भारी चोट पहुँचाई है, जिससे ये बैंक उत्तरोत्तर घाटे, भारी घाटे एवं डूबने के कगार पर पहुँच गए हैं। कैमिटालाइन के स्रोत से संकलित बी.एस.रिसर्च के अनुसार सरकारी बैंकों का लेखा-जोखा (करोड़ रुपये में) इस प्रकार है—

लेखा-जोखा	भारतीय स्टेट बैंक	ओरियंटल बैंक	यूनियन बैंक	बैंक ऑफ इंडिया	इंडियन बैंक	दिसम्बर
प्रावधान एवं	5.328	885	852	1.581	370	2014
आकस्मिक	7.949	1.183	1.238	3.604	718	2015
शुद्ध	2.910	20	302	173	278	2014
मुनाफा	1.115	-425	79	-1.506	42	2015
सकल	61.991	7.669	12,596	16,694	5.461	2014
एन.पी.ए.	72,792	11,825	18,495	36,519	7.071	2015
सकल	4.9	5.4	5.1	4.1	4.5	2014
एन.पी.ए. %	5.1	7.8	7.1	9.2	5.6	2015

उक्त सूचनाओं एवं तालिकाओं से यह प्रमाणित है कि वर्तमान सरकार किसानों के लिए महज घड़ियाली आँसू बहा कर उन्हें मदद के नाम पर सिर्फ लालीपाप पकड़ा रही है। मीडिया में किसानों के लिए योजनाओं का प्रचार-प्रसार महज दिखावा मात्र है। किसानों-मजदूरों से जन-धन खातों में राशि जमा करवा कर यह सरकार उसे कॉरपोरेट्स में बाँट रही है। किसानों के घर पर मात्र कुछ हजार रुपया वसूलने के लिए डुगडुगी बजाने वाले ये सरकारी बैंक कॉरपोरेट समूहों को एन.पी.ए. के तहत करोड़ों रुपये के कर्ज माफ कर रही है। इससे तो यही लगता है कि निकट भविष्य में इस देश में किसानों की स्थिति सुधरने की कोई संभावना नहीं है। 'गायब माल्या, पिटता किसान'।

भारत में राजनैतिक दल बड़े-बड़े कॉरपोरेट समूहों एवं घरानों से चन्दा लेते रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि जिनसे मोटी रकमें लेकर दल या नेता, सत्ता में आते हैं, वे उन्हीं के लिए, उन्हीं के इशारों पर, उन्हीं का काम करेंगे। यहाँ कहने को तो लोकशाही है, लेकिन चल रही है कॉरपोरेटशाही। इसमें खेती-किसानी के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन धरातल पर यह बीमा कम्पनियों के लिए उपहार एवं किसानों के लिए बेकार साबित हुई है। जब किसान से राम ही रूठ गया तो वह राज से क्या उम्मीद रखे? ❑

स्त्री अबला नहीं है

मैं चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान की स्त्रियाँ अपने को अबला मानकर अपने राष्ट्र की रक्षा करने के अधिकार को न तजें। जिस स्त्री-जाति ने हनुमान आदि वीरों को पैदा किया, उसे अबला कहना निरा अज्ञान है। हो सकता है, स्त्री को अबला कहने में अभिप्राय पुरुष को स्त्री के प्रति उसके कर्त्तव्य की प्रतीति करवाना रहा हो। अर्थात् इसका यह अभिप्राय रहा हो कि शरीर से बलवान होने के कारण उसे अपनी राक्षसों जैसी उद्धत वृत्ति से अबला स्त्री को सताने का अधिकार नहीं है बल्कि उसका कार्य तो स्त्री की रक्षा करते हुए ऐसे साधनों को उसके हाथ में देना है, जिससे उसकी आत्मा का विकास हो।

नवजीवन, 18.7.1920 **—गांधी**

ज्ञान और कर्म का योग हो

आज एक तरफ विद्या के पहाड़ हैं। दूसरी बाजू अज्ञान के गड्ढे पहाड़ों पर पानी बरसाता है और बहकर चला जाता है, इसलिए फसल के लिए वे पहाड़ काम में नहीं आते। उन गड्ढों में पानी गिरता है इसलिए वे भर जाते हैं और फसल नहीं होती, सड़ जाती है। कॉलेज में जो ज्ञान सीखेगा, वह काम नहीं सीखेगा। इसलिए उसका ज्ञान बेकार और जो खेतों में काम करेगा, उसको ज्ञान नहीं मिलेगा, उसका काम बेकार। इसके ज्ञान में भी ताकत नहीं होती है और उसके काम में भी ताकत पैदा नहीं होती है। वह ताकत पैदा करने के लिए यही उपाय हो सकता है कि ज्ञान को विद्यालय में और पुस्तकों में कैद नहीं किया जाय।

—विनोबा

अफगानिस्तान : मानवता के विरूद्ध नृशंसताएँ

❑ कनग राजा

संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में सन् 2015 में सन् 2009 के बाद सबसे ज्यादा नागरिक दुर्घटनाओं के शिकार हुए हैं। सन् 2015 में कुल 11002 नागरिक दुर्घटनाएँ हुईं जिनमें 3545 नागरिक मारे गए और 7457 घायल हुए। यानी नागरिकों की मृत्यु में 4 प्रतिशत की कमी एवं घायल होनेवालों की संख्या में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2009 एवं 31 दिसंबर 2015 के दौरान कुल 58736 नागरिक दुर्घटनाएँ हुईं जिनमें 21323 की मृत्यु हुई एवं 37413 घायल हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि सशस्त्र संघर्ष और इससे संबंधित मानवाधिकार एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के हनन के परिणामस्वरूप निर्मित स्थितियाँ जीवन के त्रासद अवसान एवं शारीरिक चोट की पीड़ा को भी पार कर चुकी हैं। सन् 2015 में पूरे वर्ष भर परस्पर विरोधी हिंसा के चलते हजारों घर, आजीविका एवं संपत्ति नष्ट हुई, हजारों परिवार विस्थापित हुए एवं नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सेवाओं तक पहुँच की स्वतंत्रता में खलल पड़ा है। अफगानिस्तान के लोगों की तमाम पीढ़ियों को आपसी संघर्ष के कारण शारीरिक व मानसिक संत्रास झेलना पड़ रहा है और सरकारी संस्थानों से न के बराबर की मदद मिल पा रही है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अफगानिस्तान संबंधी विशेष दूत निकोलस हेसोम का कहना है, ''रिपोर्ट दर्शा रही है कि नागरिकों को किसी तरह का नुकसान पहुँचाना पूर्णतया अस्वीकार्य है। हम अपील करते हैं कि सन् 2016 में नागरिकों की हत्या एवं उन्हें अपंग बनाने पर रोग लगाई जाए।'' वही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त जीइड राड अल हसन का कहना है, ''अफगानिस्तान के नागरिक अभी भी ऐसे नृशंस एवं असैद्धांतिक हमलों का सामना कर रहे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अन्तर्गत प्रतिबंधित है। यह सब भयानक अराजक वातावरण में हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए और अधिक शिद्दत से जोर डालें।''दूसरी ओर सं.रा.मानवाधिकार आयोग की निदेशक डैनोली बेल का कहना है, ''सन् 2015 में इस संघर्ष का सर्वाधिक खामियाजा नागरिकों को और सबसे अधिक बच्चों को भुगतना पड़ा है। पिछले वर्ष सर्वाधिक बच्चे अनावश्यक रूप से मारे गए या घायल हुए। सन् 2015 में प्रत्येक चार मृत लोगों में से एक बच्चा था। दूसरे अनेक बच्चों को अपने माता-पिता की मृत्यु से अलगाव भुगतना पड़ा है और उनकी माताओं, बहनों आदि की मृत्यु में भी वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष प्रत्येक 10 में से 1 मृतक महिला थी।''

सं.रा.संघ की रिपोर्ट के अनुसार कुल मिलाकर 2015 की नागरिक दुर्घटनाओं में 4 प्रतिशत और महिलाओं की दुर्घटनाओं में 37 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस दौरान कुल 1246 महिलाएँ दुर्घटना का शिकार हुईं जिनमें से 333 की मृत्यु एवं 913 घायल हुईं। इसी अवधि में बच्चों की दुर्घटनाओं में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है अर्थात् कुल 2829 बच्चे दुर्घटनाग्रस्त हुए जिनमें 733 की मृत्यु हुई एवं 2096 घायल हुए। इस दौरान नागरिकों संबंधी दुर्घटना की निम्न वजहें रहीं, आत्मघाती हमले एवं सरकार विरोधी तत्वों द्वारा जानबूझकर की गई हत्याएँ, आई.ई.डी. का बढ़ता प्रयोग जमीनी हमलों में सर्वाधिक नागरिक मारे गए और सरकार समर्थक फौजों की कार्यवाही जिसमें दोनों ओर से हो रही गोलाबारी के मध्य नागरिक फँसते जाते हैं। ऐसी सर्वाधिक घटनाएँ कुंदुज प्रांत में हुई थीं। रिपोर्ट के अनुसार 62 प्रतिशत नागरिक दुर्घटनाएँ सरकार विरोधी तत्वों एवं 17 प्रतिशत सरकार समर्थक तत्वों की वजह से हुई हैं।

सं.रा.संघ की रिपोर्ट के अनुसार सरकार विरोधी तत्वों के हमलों में सन् 2015 में कुल 6859 नागरिक दुर्घटनाएँ दर्ज की गयीं, इनमें 2315 की मृत्यु एवं 4544 घायल थे। यह सन् 2014 से 10 प्रतिशत कम थी। जबकि इन्हीं तत्वों द्वारा जटिल एवं आत्मघाती हमलों के कारण नागरिक दुर्घटनाओं में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं सरकार समर्थक तत्वों द्वारा नागरिक दुर्घटनाओं की कुल संख्या 1854 थी जिसमें 621 की मृत्यु हुई एवं 1233 घायल हुए। यह सन् 2014 की तुलना में 28 प्रतिशत अधिक है। इसकी वजह अफगानी सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षा परिचालन में की जा रही बढ़ोतरी है क्योंकि अफगानी सुरक्षा बलों ने पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब अपने ऊपर ले ली है। सं.रा.संघ का मानना है कि अफगानिस्तान की सेना द्वारा मित्र राष्ट्रों की मदद से किए गए हवाई हमलों की वजह से नागरिक दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। इसकी वजह से सरकार विरोधी तत्वों के मंसूबे कुछ ठंडे पड़े हैं और उनके द्वारा होनेवाले हमलों में कमी आई है। वैसे अधिकांश हमलों के लिए मुख्यतः तालिबान व अन्य तमाम सरकार विरोधी तत्व ही जिम्मेदार हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने पुनः दोनों पक्षों से अपील की है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करें और आत्मघाती हमलों को तत्काल बंद करें। सरकार विरोधी तत्व जानबूझकर नागरिकों के मारने की अपनी नीति पर तुरंत रोक लगाएँ। इसके अलावा सभी पक्ष जिसमें अफगान सुरक्षा सेनाएँ भी शामिल हैं, इस तरह की सभी सावधानियाँ बरतें जिससे कि सामान्य नागरिक हमले की चपेट में न आएँ। साथ ही भारी अप्रत्यक्ष गोलाबारी एवं नागरिक आबादी क्षेत्र में बारूदी हथियारों का इस्तेमाल न किया जाए। (सप्रेस/थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क फीचर्स)

प्राकृतिक चिकित्सा–एक वरदान

❑ पुनीत मल्लिक

प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी जीवनशैली है जो रोग मुक्त जीवन जीने की कला सिखाती है। हम बीमार ही न हों यह प्रेरणा, यह संकल्प केवल प्राकृतिक चिकित्सा से ही संभव है। रोगों का उपचार या स्वास्थ्य-लाभ आदि बाद की बात है। रोगाणुओं से लड़ने की शरीर में स्वाभाविक शक्ति होती है। प्राकृतिक रूप से इस जीवनीशक्ति को सबल करके हम रोगमुक्त जीवन जी सकने में समर्थ हो सकते हैं। दरअसल प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली चिकित्सा की एक रचनात्मक विधि है, जिसका लक्ष्य प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्त्वों के उचित इस्तेमाल द्वारा रोग का मूल कारण समाप्त करना है। यह न केवल एक चिकित्सा-पद्धति है बल्कि मानव शरीर में उपस्थित आंतरिक महत्त्वपूर्ण शक्तियों या प्राकृतिक तत्त्वों के अनुरूप एक जीवन-शैली है। यह जीवन-कला तथा विज्ञान में एक संपूर्ण क्रांति है। इस प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धति में प्राकृतिक भोजन, विशेषकर ताजे फल तथा कच्ची व अधपकी सब्जियाँ विभिन्न बीमारियों के इलाज में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। प्राकृतिक चिकित्सा निर्धन व्यक्तियों एवं गरीब देशों के लिए विशेष रूप से वरदान है।

विगत कुछ वर्षों में इस प्रणाली को लेकर जबरदस्त आकर्षण देखने को मिल रहा है। सरकार की ओर से भी प्राकृतिक चिकित्सा को भरपूर सहयोग और आधार मिल सकें, ऐसी कोशिशें की जा रही हैं, पर इस क्षेत्र में योग्य जनशक्ति की भारी कमी के कारण योग और प्राकृतिक चिकित्सा के विकास को आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के समान स्तर पर विकास और बढ़ावा अभी नहीं मिल सका है। हालाँकि हाल के वर्षों में कई गैर सरकारी संगठन और स्वयंसेवी संगठन योग और प्राकृतिक चिकित्सा गृहों के साथ-साथ डिग्री कॉलेजों की स्थापना के लिए भी आगे आए हैं। प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र में गांधी स्मारक प्राकृतिक चिकित्सा समिति लगभग 1971 से ही कार्यरत है, जिसने देशभर में इस प्रणाली को जो विस्तार दिया है, वह उल्लेखनीय है। समिति गांधी नेशनल एकेडमी ऑफ नेचरोपैथी के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 60 केन्द्रों द्वारा साढ़े तीन साल का डिप्लोमा कोर्स कराती है। विगत कुछ वर्षों से समिति महात्मा गांधी की तपस्थली सेवाग्राम में एक विश्वविद्यालय की संरचना की ओर अग्रसर है पर आर्थिक तंगी की वजह से इसे शीघ्रता से पूरा कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। इस पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण में केवल योग और प्राकृतिक चिकित्सा के दर्शन ही शामिल नहीं हैं, बल्कि यह नैदानिक उपकरण और एक सफल प्रैक्टिस की स्थापना के लिए आवश्यक तौर-तरीकों पर भी हमारा जोर रहता है।

देश के कई अन्य संस्थानों ने भी प्राकृतिक चिकित्सा और योग एवं इसके विभिन्न पहलुओं की प्रभावकारिता को साबित करने के लिए गंभीर प्रयास किया है। पर इस क्षेत्र की जमीनी हकीकत यही है कि प्राकृतिक चिकित्सा जगत में समर्पित, योग्य व सेवाभावी लोगों की कमी बनी हुई है। सरकारी योजनाओं के माध्यम से जो कुछ इस क्षेत्र में चल रहा है, उससे प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र का कितना भला हो रहा है, इसे हम सब जानते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा जगत में अपने लाभ का ख्याल रखकर कार्य करनेवालों ने जिस तरह पैठ बना ली है, उससे सचेत रहने की जरूरत है। यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जिन संस्था संगठनों ने 20 वर्षों की तपस्या के साथ इस क्षेत्र की प्रामाणिकता को बचाये रखा है वे ही इसकी मुख्यधारा से अलग-थलग होते जा रहे हैं।

सरकारी स्तर पर भी प्राकृतिक चिकित्सा के लिए कोई ठोस प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। हाँ, इतना अवश्य है कि मानव उपकरण के संतुलित और चौतरफा विकास के लिए एक उपकरण के रूप में योग को स्वीकार कर, कुछ विश्वविद्यालयों ने योग विभाग की स्थापना की, ऐसे 18 विश्वविद्यालय हैं जो योग में प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। यूजीसी भी योग को बढ़ावा देने के लिए कुछ विश्वविद्यालयों में योग पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु विश्वविद्यालयों को वित्तपोषण कर रहा है। कुछ राज्य अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों में योग को सम्मिलित करना प्रस्तावित कर रहे हैं। केन्द्रीय विद्यालय, दिल्ली सरकार व नयी दिल्ली नगर निगम के विभिन्न स्कूलों में लगभग एक हजार योग शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। यह उत्साहवर्धक है कि कई पश्चिमी देशों में प्राकृतिक उपचार की शिक्षा पर काफी बल दिया जा रहा है और उसे आवश्यक मान्यता दी जा रही है। यूएसए, जर्मनी, ब्रिटेन के कई भागों में नेशनल कॉलेज ऑफ नेचरोपैथिक मेडिसिन, ओरेगॉन व ब्रिटिश कॉलेज ऑफ नेचरोपैथी एंड ऑस्टिओपैथी, लन्दन जैसे कई कॉलेज हैं। पर प्राकृतिक चिकित्सा को वह हक नहीं मिल सका है जिसकी वह हकदार है। प्राकृतिक चिकित्सा के साथ ही योग को सम्पूर्णता प्राप्त हो सकती है, हमें इस बात पर गम्भीरता से विचार करना होगा। केवल योग से ही समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्राकृतिक चिकित्सा न केवल उपचार की पद्धति है, अपितु यह एक जीवन-पद्धति है। यह मुख्य रूप से प्रकृति के सामान्य नियमों के पालन पर आधारित है। प्राकृतिक चिकित्सा खान-पान एवं रहन-सहन की आदतों, शुद्धि कर्म, जल-चिकित्सा, ठण्डी पट्टी, मिट्टी की पट्टी, विविध प्रकार के स्नान, मालिश तथा अनेक नयी प्रकार की वैज्ञानिक विधाओं पर आधारित है जिसको जाने-समझे बिना रोग रहित जीवन की कल्पना संभव नहीं है। (प्राकृतिक उपचार से)

महात्मा गांधी का भारतीय शिक्षा दर्शन

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों आदर्शवादी रहा है। उनका आचरण प्रयोजनवादी विचारधारा से ओतप्रोत था। संसार के अधिकांश लोग उन्हें महान राजनीतिज्ञ एवं समाज सुधारक के रूप में जानते हैं। पर उनका यह मानना था कि राजनीतिक उन्नति एवं समाज सुधार व उन्नति के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है।

इसी कारण महात्मा गांधी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक प्रयोग किये। उनका मूलमंत्र था—'शोषण-विहीन समाज की स्थापना करना'। उसके लिए सभी को शिक्षित होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा के अभाव में एक स्वस्थ समाज का निर्माण असंभव है। अतः गांधीजी ने जो शिक्षा के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों की व्याख्या की तथा प्रारंभिक शिक्षा योजना उनके शिक्षादर्शन का मूर्त रूप है। अतएव उनका शिक्षा दर्शन उनको एक शिक्षा शास्त्री के रूप में भी समाज के सामने प्रस्तुत करता है। उनका शिक्षा के प्रति जो योगदान था वह अद्वितीय था। उनका मानना था कि मेरे प्रिय भारत में बच्चों को 3H की शिक्षा अर्थात् head hand heart की शिक्ष दी जावे। शिक्षा उन्हें स्वावलंबी बनाये और वे देश को मजबूत बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकें।

गांधीजी भारतीय शिक्षा को 'द ब्यूटीफुल ट्री' (The beautiful tree) कहा करते थे। इसके पीछे कारण यह था कि गांधी ने भारत की शिक्षा के बारे में जो कुछ पढ़ा था, उससे पाया था कि भारत में शिक्षा सरकारों के बजाय समाज के अधीन था। डॉ. धर्मपाल प्रसिद्ध गांधीवादी चिन्तक रहे हैं। उन्होंने भारतीय ज्ञान, विज्ञान, समाज, राजनीति और शिक्षा को लेकर बहुत ही महत्त्वपूर्ण शोध किया है। गांधी के वाक्य 'द ब्यूटीफुल ट्री' को जस का तस लेकर डॉ. धर्मपाल ने अपना शोध शुरू किया और अंग्रेजों और उससे पूर्व के समस्त दस्तावेज खंगाले। जो कुछ भारत में मिला उन्हें संग्रहालयों और ग्रंथालयों से लिया और जो जानकारी भारत से बाहर ईस्ट इंडिया कम्पनी और यहाँ तक कि सर टामस रो से लेकर अंग्रेजों के भारत छोड़ने तक की, इंग्लैंड में उपलब्ध थी, उसे वहाँ जाकर खोजा। धर्मपालजी ने अंग्रेजकालीन घटनाओं का जो ऐतिहासिक अन्वेषण कर यह साबित किया कि जिस प्रकार उन लोगों ने न केवल हमारे अर्थशास्त्र और कुटीर उद्योग को समाप्त कर हमारे पूरे अर्थतंत्र को डस लिया, बल्कि भारत का सांस्कृतिक, साहित्यिक, नैतिक और आध्यात्मिक विखंडन भी किया, जिससे भारत अपना भारतपन ही भूल गया और अंग्रेजी शिक्षा से आच्छन्न यहाँ के कुछ बड़े घरानों के लोग भारत भाग्य विधाता बन गये।

आधारभूत शिक्षादर्शन सिद्धान्त

गांधीजी ने शिक्षा के अधोलिखित आधारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया—

1. 7 से 14 वर्ष की आयु के बालकों की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा हो।

2. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो।

3. साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा जा सकता।

4. शिक्षा बालक के मानवीय गुणों का विकास करना है।

5. शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के शरीर, हृदय, मन और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास हो।

6. सभी विषयों की शिक्षा स्थानीय उत्पादन उद्योगों से मुक्त कर सके।

7. शिक्षा ऐसी हो जो नवयुवकों को बेरोजागरी से मुक्त कर सके।

अतः गांधीजी के अनुसार शिक्षा का अर्थ बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में जाये जानेवाले सर्वोत्तम गुणों का चहुँमुखी विकास करना है। अतः बालक के सर्वांगीण विकास हेतु उसके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक गुणों का विकास करना।

शिक्षादर्शन के उद्देश्य

गांधीजी ने शिक्षा के उद्देश्यों को दो भागों में विभाजित किया है।

1. शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य

2. सर्वोच्च उद्देश्य तात्कालिक उद्देश्य जिनको नियमित शिक्षा के माध्यम से शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है। जो कि इस प्रकार है—

1. **जीविकोपर्जन का उद्देश्य :** गांधीजी के अनुसार शिक्षा ऐसी हो जो आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, बालक आत्मनिर्भर बन सके तथा बेरोजगारी से मुक्त हो।

2. **सांस्कृतिक उद्देश्य :** गांधीजी ने संस्कृति को शिक्षा का आधार माना। उनके अनुसार मानव के व्यवहार में संस्कृति परिलक्षित होनी चाहिए।

3. **पूर्ण विकास का उद्देश्य :** उनके अनुसार सच्ची शिक्षा वह है जिसके द्वारा बालकों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सके।

4. **नैतिक अथवा चारित्रिक विकास :** गांधीजी ने चारित्रिक एवं नैतिक विकास का उचित आधार माना है।

5. **मुक्ति का उद्देश्य :** गांधीजी का आदर्श ''सा विधा या विमुक्तये'' अर्थात् शिक्षा ही हमें समस्त बंधनों से मुक्ति दिलाती है। अतः गांधीजी शिक्षा द्वारा आत्मविकास के लिए आध्यात्मिक स्वतंत्रता देना चाहते थे। शिक्षा के सर्वोच्च उद्देश्य के अंतर्गत वे सत्य अथवा ईश्वर की प्राप्ति पर बल देते थे।

अतः मनुष्य का अंतिम एवं सर्वोच्च उद्देश्य आत्मानुभूति करना है।

गांधीजी की बेसिक अथवा बुनियादी शिक्षा

अविनाशलिंगम के शब्दों में ''बुनियादी शिक्षा हमारे राष्ट्रपिता का अंतिम और संभवतः महानतम् उपहार है।''

सन् 1937 में गांधीजी ने वर्ध में हो रहे 'अखिल भारतीय राष्ट्री शिक्षा सम्मेलन' जिसे 'वर्धा शिक्षा सम्मेलन' कहा गया था। उसमें अपनी बेसिक शिक्षा की नयी योजना को प्रस्तुत किया। जो कि मैट्रिक स्तर तक अंग्रेजी रहित तथा उद्योगों पर आधारित थी। जामिया मिलिया के तत्कालिक प्रिंसिपल डॉ. जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में 'जाकिर हुसैन समिति' का निर्माण किया गया तथा गांधीजी की शिक्षा संबंधी विद्यायें तथा सम्मेलन द्वारा पारित किये गये प्रस्तावों के आधार पर 'नई तालीम' (बुनियादी शिक्षा) की योजना तैयार की गई। 1938 में हरिपुर के अधिवेशन ने इस रिपोर्ट को स्वीकृति दी। जो कि 'वर्धा-शिक्षा-योजना' के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो बुनियादी शिक्षा का आधार है।

बुनियादी शिक्षा की विशेषताएँ

1. बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि 7 वर्ष की है।

2. 7 से 14 वर्ष के बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए।

3. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है। हिंदी भाषा का अध्ययन बालकों तथा बालिकाओं के लिए अनिवार्य है।

4. संपूर्ण शिक्षा का संबंध आधारभूत शिल्प से होता है।

5. चुने हुए शिल्प की शिक्षा देकर अच्छा शिल्पी बनाकर स्वावलम्बी बनाया जाए।

6. शिल्प की शिक्षा इस प्रकार दी जाए कि बालक उसके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्त्व को समझ सके।

7. शारीरिक श्रम को महत्त्व दिया गया ताकि सीखे हुए शिल्प के द्वारा जीविकोपार्जन कर सके।

8. शिक्षा बालकों के जीवन, घर, ग्राम तथा ग्रामीण उद्योगों, हस्तशिल्पों और व्यवसाय घनिष्ठ रूप से संबंधित हों।

9. बालकों द्वारा बनाई गई वस्तुएँ जिनका प्रयोग कर सके एवं उनको बेचकर विद्यालय के ऊपर कुछ व्यय कर सकें।

10. बालकों एवं बालिकाओं का समान पाठ्यक्रम रखा जाए।

11. छठवीं और सातवीं कक्षाओं में बालिकाएँ आधारभूत शिल्प के स्थान पर गृहविज्ञान ले सकती हैं।

12. पाठ्यक्रम का स्तर वर्तमान मैट्रिक के समकक्ष हो।

13. पाठ्यक्रम में अंग्रेजी और धर्म की शिक्षा नहीं दी गयी है।

चूँकि बुनियादी शिक्षा राष्ट्रीय सभ्यता, संस्कृति के नजदीक थी, साथ ही साथ सामुदायिक जीवन के आधारभूत व्यवसायों से जुड़ी हुई थी तथा सीखे हुए आधारभूत शिल्प के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह कर सकता था। अतः यह शिक्षा हमारे जीवन के बुनियाद या आधार से जुड़ी हुई थी, इसलिए इसका नाम बुनियादी या आधारभूत शिक्षा रखा गया।

गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आधारभूत शिल्प जैसे–कृषि, कताई-बुनाई, लकड़ी, चमड़े, मिट्टी का काम, पुस्तक कला, मछली-पालन, फल व सब्जी की बागवानी, बालिकाओं हेतु गृहविज्ञान तथा स्थानीय एवं भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षाप्रद हस्तशिल्प इसके अलावा मातृभाषा, गणित, सामाजिक अध्ययन एवं सामान्य विज्ञान, कला, हिंदी, शारीरिक शिक्षा आदि रखा। शिक्षण विधि को शिक्षण का वास्तविक कार्य-क्रियाओं और अनुभवों पर अनिवार्य रूप से आधारित किया।

उनके अनुसार शिक्षण विधि व्यावहारिक हो। बालकों को विभिन्न विषयों की शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प के माध्यम से दी जाय। करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना तथा क्रिया के माध्यम से सीखने पर बल दिया गया। गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा में सीखने की समवाय पद्धति का उपयोग किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने समस्त विषयों की शिक्षा किसी कार्य या हस्तशिल्प के माध्यम से दी।

गांधीजी की शिक्षा संबंधी विचारधारा की प्रासंगिकता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त व्याख्या का मूल्यांकन किया जाए तो इस तथ्य पर पहुँचते हैं कि गांधीजी का शिक्षादर्शन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी प्रासंगिक है।

सर्वप्रथम गांधीजी द्वारा भारतीय जीवन को दृष्टिगत रखते हुए वातावरण के अनुसार ऐसी शिक्षा योजना प्रस्तुत की गयी जिसको कार्यरूप में परिणत करने में भारतीय समाज में एक नया जीवन आने की संभावना है। गांधीजी हृदय से आदर्शवादी थे क्योंकि वे जीवन के अंतिम लक्ष्य सत्य को प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान करता है। गांधीजी को प्रयोजनवादी भी कह सकते हैं, क्योंकि वह बालक की रुचि के अनुसार क्रिया करके सीखने पर बल देते हैं। उनको प्रकृतिवादी इसलिए कह सकते हैं कि वे बालक को उसकी प्रकृति के अनुसार विकसित करना चाहते थे। ध्यान देनेवाली बात यह है कि उन शिक्षादर्शन में तीनों विचार-धाराओं में कोई विशेष अर्थ नहीं था।

गांधीजी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के सिद्धांत जैसे बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। आज हम देखते हैं कि समस्त वर्गों को शिक्षित करने हेतु कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। निःशुल्क, अनिवार्य शिक्षा साथ ही साथ बालकों एवं बालिकाओं के लिए कई योजनाओं का निर्माण किया गया है।

ताकि अधिक से अधिक बालकों को शिक्षा की प्राप्ति हो सके। वर्तमान में हम

देखते हैं कि आज युवाओं के पास कई तरह की डिग्री है परंतु रोजगार नहीं है। अतः गांधीजी ने बहुत वर्ष पहले ही इस समस्या को इंगित कर दिया था और उन्होंने बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत उद्योगों पर आधारित शिक्षा पर बल दिया ताकि बालक किसी न किसी हस्तशिल्प को सीखकर आत्मनिर्भर बन सके। बेरोजगारी से मुक्ति प्राप्त कर सके। वर्तमान में अब व्यवहारिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा को बल दिया जा रहा है। गांधीजी बालकों में मानवीय गुणों का विकास करने पर बल देते थे।

जिसकी आज भी प्रासंगिकता है क्योंकि आज जो विनाश और तबाही फैल रही है वह मनुष्यों में मानवता की कमी के कारण बढ़ती जा रही है। गांधीजी ने करके या क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया है जो कि आज भी उतना ही आवश्यक है क्योंकि क्रिया या स्वयं करके सीखने पर सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है जो हर क्षेत्र के लिए आवश्यक है। गांधीजी ने शारीरिक श्रम का सम्मान किया। उनके अनुसार मनुष्य को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ भेदभाव भी मिटता है। जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी आवश्यक है जो काम का आदर करेगा वही उत्पादन कार्य से जुड़ सकता है।

गांधीजी के द्वारा दिये गये आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक, नागरिकता का उद्देश्य साथ ही साथ सर्वोदय समाज की स्थापना जिसके अंतर्गत श्रम का महत्त्व होगा, धन का नहीं, स्नेह और सहयोग की भावनाएँ होंगी, घृणा एवं पृथकता नहीं, शोषण के स्थान पर परहित एवं संचय की प्रवृत्ति के स्थान पर त्याग की प्रवृत्ति होगी। वर्तमान में शोषण, घृणा, स्वार्थ सिद्धि जैसी कुधारणा के कारण मारकाट, विनाश तथा मानवता का हनन हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि गांधीजी की सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य आज आवश्यक बन गया है। गांधीजी ने धर्म की शिक्षा का भी बहिष्कार किया। क्योंकि उन्हें भय था कि जिन धर्मों की शिक्षा दी जाती है अथवा पालन किया जाता है वे मेल के स्थान पर झगड़े उत्पन्न करते हैं। वर्तमान स्थिति भी इस बात की समर्थक है।

अतएव गांधीजी के द्वारा दिये गये शिक्षा के सिद्धांत, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षणविधि आज भी बालकों तथा बालिकाओं, विद्यालय तथा समाज के लिए उतना ही आवश्यक है जितना पहले उनकी महत्त्वपूर्ण कृति बुनियादी शिक्षा अथवा बेसिक शिक्षा बच्चों को, चाहे वे नगरों के हों या ग्रामों के, समस्त सर्वोत्तम एवं स्थाई बातों से संबंध रखती है एवं बालकों को स्वावलम्बी बनाने में मददगार सिद्ध हुई है। उनकी शिक्षा केवल मानसिक विकास की ओर ही ध्यान नहीं देती बल्कि शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए भी उपयोगी हुई है। ❑

पृष्ठ 2 का शेष...

इस समय बूँद-बूँद पानी के लिए तरस रहे लोगों के बीच यह सन्देश लेकर जाना पड़ेगा कि यदि आप लोगों ने पीने के पानी को इसी तरह बर्बाद किया, तो आनेवाले समय में इससे विकराल स्थिति का सामना करना पड़ेगा। महात्मा के 'मेरे सपनों के भारत' के अनुरूप हर पहलू को आत्मसात करना पड़ेगा, अन्यथा आनेवाले सालों में तापमान इसी तरह बढ़ता रहेगा और कुछ ही वर्षों बाद ही इस पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। यानी एक और मानव सभ्यता की समाप्ति। इसको बचाना और समाप्त करना हमारे हाथों में है। इसके लिए इस देश के हर नागरिक को गांधी तत्त्वों को आत्मसात करके देश और इस धरती के प्रति अपने कर्तव्यों के परिपालन के लिए कृत संकल्प होना पड़ेगा। अन्यथा परिणाम तो सभी जानते हैं, उसकी समय-सीमा घट-बढ़ सकती है, किन्तु अंत निश्चित है।

–डॉ. योगेन्द्र यादव

प्रकाशकीय घोषणा-पत्र

(फार्म-4 नियम-8 के अनुसार)

प्रकाशन स्थल	: सर्व सेवा संघ, राजघाट, वाराणसी
प्रकाशन अवधि	: पाक्षिक
मुद्रक का नाम	: श्री राजकुमार निगम
नागरिकता	: भारतीय
पता	: इण्डियन प्रेस कालोनी, मलदहिया, वाराणसी
प्रकाशक का नाम	: शेख हुसैन
नागरिकता	: भारतीय
पता	: सर्व सेवा संघ राजघाट, वाराणसी
सम्पादक का नाम	: विमल कुमार
नागरिकता	: भारतीय
पता	: सर्व सेवा संघ राजघाट, वाराणसी

मैं शेख हुसैन एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

–शेख हुसैन

प्रकाशक के हस्ताक्षर

जनतंत्र का आधार : केवल अहिंसा

सच्चा जनतंत्र या जनता का स्वराज्य कभी असत्य और हिंसात्मक साधनों से नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसे साधनों की योजना का सीधा परिणाम होगा—विरोधियों को या तो दबाकर या उनका विनाश ही करके सारा विरोध खतम कर देना। इस तरह व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो केवल अविमिश्र अहिंसा के वातावरण में ही पनप सकती है।

'हरिजन' **–गांधी**

27.05.1939

एक्टिविस्ट अशोक मानव से प्रो. (डॉ.) योगेन्द्र यादव की बेबाक बातचीत

❑ डॉ. योगेन्द्र यादव

प्रो. योगेन्द्र : अशोकजी, आपके नाम के पीछे यह जो मानव सरनेम लगा है, यह मेरे मन में बहुत कौतूहल उत्पन्न कर रहा है। कृपया इसका खुलासा करें।

मानव : 1985 लोकनायक जयप्रकाश जी की विचारधारा से प्रभावित होकर इस संगठन में आया। उसी समय से जाति-पाँति से मुझे घृणा होने लगी। मुझे लगा कि यह सब झूठ है। मनगढ़ंत है। एक ही सच है कि हम सब इंसान हैं। इसलिए मैंने अपना सरनेम मानव रख लिया।

प्रो. योगेन्द्र : अभी आपने एक संगठन का जिक्र किया। आप किस संगठन की बात कर रहे हैं?

मानव : छात्र युवा संघर्ष वाहिनी। जिसकी स्थापना लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने की थी।

प्रो. योगेन्द्र : उन्होंने इस संगठन का गठन किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया था। थोड़ा इसे समझाने का कष्ट करें।

मानव : लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इस संगठन का गठन सम्पूर्ण क्रांति को ध्यान में रखकर किया था, जिससे इस आन्दोलन से इस देश के छात्रों को भी जोड़ा जा सके।

प्रो. योगेन्द्र : छात्रों के बीच में आप किन मुद्दों को लेकर जाते हैं?

मानव : छात्रों के बीच में हम उनके हकों की बात करते हैं। हम उन्हें समझाते हैं कि यदि आप लोग अपने हकों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तो आपके शोषण की प्रक्रिया रुकेगी नहीं। निरंतर चलती रहेगी। इस कारण हम उन्हें सावधान और संगठित करते हैं।

प्रो. योगेन्द्र : कुछ उदाहरण देकर समझाते तो अच्छा होता।

मानव : जैसे छात्रवृत्ति का मसला प्राय? क्लर्कों और प्रिंसिपलों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। इसके लिए हम उन्हें संगठित करते हैं, यदि आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो आप संगठित होकर संस्था प्रमुख के सामने अपनी बात रखें। यदि न माने तो आन्दोलन का रास्ता अख्तियार करें। हमें देखने में आता है कि विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पुस्तकालय तो होता है, पर उसमें पढ़ने के लिए किताबें नहीं होतीं। बैठने की व्यवस्था नहीं होती। यहाँ पढ़नेवाले ज्यादातर बच्चे गरीब होते हैं। यदि पुस्तकालय की दशा अच्छी नहीं होगी, तो वे पढ़ेंगे कैसे? इसलिए उनकी बेहतरी के लिए उन्हें संगठित होकर आवाज उठाने को कहते हैं। हर आन्दोलन में उनका साथ देते हैं। इसी तरह फीस माफी का भी मसला है। लोग राजनेताओं से दबाव डलवा कर अपात्र लोगों क्की फीस माफ करवा देते हैं। जिससे पात्र लोग वंचित रह जाते हैं। उन्हें भी संगठित करते हैं और उनकी फीस माफ करवाते हैं।

प्रो. योगेन्द्र : क्या आपकी जयप्रकाश नारायण से कभी मुलाकात हुई?

मानव : लोकनायक जयप्रकाश नारायण से मेरी कभी भेंट तो नहीं हुई। पर उन्हें सुनने और नजदीक से जानने का मुझे मौका मिला। मेरे दो भाई जेपी के 1974 के आन्दोलन में उनके साथ थे। उन पर मीसा भी लगा। एक से अधिक वर्ष तक उन्होंने जेल भी काटी। उनसे जेपी के बारे में सुना करता था। 1975 या 76 में जेपी आरा आये थे। तो मैं उनका भाषण सुनने गया था। तब दूर से उनको देखा था। दुबारा जब उनका देहांत हो गया, तब मैं उनकी अंत्येष्टि में अपने दो-तीन मित्रों के साथ गांधी मैदान बांसघाट तक गया था। उस समय मैं कक्षा छठी का विद्यार्थी था। घर में हो रही चर्चाओं से उनसे इतना लगाव हो गया था कि इतनी कम उम्र में बिना घरवालों के बताये इतनी दूर निकल आया था।

प्रो. योगेन्द्र : क्या आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक है?

मानव : आज के सन्दर्भ में तो नहीं। लेकिन मेरी माँ बताती हैं कि मेरे पिताजी ने भी देश की आजादी की लड़ाई में भाग लिया था। वह महीनों घर से बाहर रहते थे। जब वे घर पर होते थे तो कुछ अनजाने पर उत्साहित चेहरे उनसे मिलने के लिए आया करते थे। उनकी बातों में बड़ा जोश होता था। इसी कारण शायद मैं भी इस फील्ड में आ सका। लेकिन इस बारे में हमारे पिताजी कभी कोई चर्चा नहीं करते थे। शायद जिन उद्देश्यों को लेकर वे आजादी की लड़ाई लड़े थे, वह उन्हें पूरा हुआ नहीं दिखा।

प्रो. योगेन्द्र : आप छात्र राजनीति में कब आये?

मानव : मैट्रिक के बाद मैं छात्र राजनीति में आया। 1983 में मैंने स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ने का मन बनाया। पर किन्हीं कारणों से वहाँ आज तक चुनाव नहीं हुआ।

प्रो. योगेन्द्र : अब तो आपकी उम्रर छात्रों की रही नहीं। तो इस समय आप किस संगठन से जुड़े हुए हैं?

मानव : छात्र युवा संघर्ष वाहिनी में रहने की अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। इस समय मैं लगभग 50 वर्ष का हो गया हूँ। 30 वर्ष के बाद यानी 1994 में मैंने जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी (जसवा) ज्वाइन की। तब से आज तक इसी संगठन के साथ जनसेवा कर रहा हूँ।

प्रो. योगेन्द्र : मानवजी! जसवा का कार्यक्षेत्र क्या है? या आप किन-किन क्षेत्रों में काम-कार्य करते हैं?

मानव : जसवा मूलतः भूमि से संबंधित मसलों पर काम करती है। इसके अलावा साम्प्रदायिकता और राष्ट्रीय मसलों पर फोकस तो रहता ही है।

प्रो. योगेन्द्र : जमीन संबंधित मामले? थोड़ा इसे विस्तार से बतलाने की कृपा करें, जिससे हर पाठक की समझ में आ जाये।

मानव : जैसे हमारे यहाँ अधिकतर किसानों को परचा तो मिला है। पर उसका दाखिल-खारिज नहीं हुआ है। उसका दाखिल-खारिज करवाते हैं। देश में भूदान की जमीनों को लोगों ने हड़प रखा है। उसे मुक्त करवाने के लिए आन्दोलन करते हैं। इसके बाद भूमिहीनों में उसका वितरण सुनिश्चित करवाते हैं। गैर-मजरुआ जमीन (आबादी) गाँव के दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा है। वह भूमिहीन लोगों को दी जाए, इसके लिए संघर्ष चला रहे हैं?

प्रो. योगेन्द्र : इसके अलावा भी कुछ?

मानव : विस्थापितों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। नदियों पर बड़े-बड़े डैम बनने के कारण जो किसान विस्थापित हो गये हैं, उन्हें उचित मुआवजा, रहने और खेती की जमीन मिले। इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित हो। इसकी लड़ाई बिहार में कोसी हर साल कहर ढा देती है। हजारों किसान तबाह हो जाते हैं। उनके पुनर्वास की लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं।

प्रो. योगेन्द्र : बस कि और कुछ?

मानव : वन अधिकार कानून के लिए हम लड़ रहे हैं। जंगल की जमीन पर जंगल में रहनेवालों का अधिकार है। यह अधिकार वहाँ रहनेवालों को मिले। 2006 से इसका कानून बना है। पर जंगल में रहनेवाले भोले-भाले, अनपढ़ लोगों को अधिकारी या सामंतशाही लोग लगातार विस्थापित करने में लगे हैं। उनकी लड़ाई चल रही है। कुछ क्षेत्रों में हमें सफलता भी मिली है।

प्रो. योगेन्द्र : आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए धन की जरूरत भी पड़ती है। उसका प्रबंध कैसे करते हैं?

मानव : इस देश में जो जयप्रकाशजी के फालोवर हैं, वे हमें मदद करते हैं। दूसरा रास्ता है, जिन लोगों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, उन्हीं से धन संग्रह करते हैं। हमें माँगना नहीं पड़ता। वे स्वेच्छा से और अपनी सामर्थ्य से अधिक धन हमें इस लड़ाई के लिए देते हैं। जो कुछ कमी पड़ती है, हम वाहिनी के साथियों से लेते हैं। कुछ धन हम लिटरेचर बेचकर भी कमा लेते हैं।

प्रो. योगेन्द्र : किस प्रकार का साहित्य आप बेचते हैं?

मानव : जयप्रकाश नारायण के जीवन एवं सम्पूर्ण क्रांति सम्बन्धी साहित्य।

प्रो. योगेन्द्र : क्या आप कोई बुलेटिन निकालते हैं?

मानव : जी हाँ, हम जनमुक्ति अभियान नामक एक बुलेटिन भी निकालते हैं। यह मासिक है। हम लगभग इसकी 1000 प्रतियाँ छपवाते हैं और अपने समर्थकों में इसका वितरण करते हैं।

प्रो. योगेन्द्र : इस समय कोई विशेष आन्दोलन जो आप चला रहे हैं? उसके बारे में बताने की कृपा करें।

मानव : वन अधिकार कानून का, जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया है। यह आन्दोलन इस समय बिहार में चल रहा है। मैं और चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी व कैलाश भारती इस आन्दोलन की अगुआई कर रहे हैं।

प्रो. योगेन्द्र : अपने संगठन के बारे में थोड़ा बताने की कृपा करें।

मानव : जसवा की इकाई आपको हर जिले में मिल जाएगी। हर जिले पर हमारा एक संयोजक होता है। वह समविचारी लोगों से अपनी कार्यकारिणी का गठन करता है। इसके अलावा हमारा प्रदेश एवं राष्ट्रीय लेवल का भी संगठन है।

प्रो. योगेन्द्र : क्या आपने जनता को जोड़ने के लिए भी कोई संगठन बना रखा है या आप जनता को अपने कामों में कैसे भागीदार बनाते हैं?

मानव : जी। मैं बताना भूल गया। हमारा एक जन संगठन भी है। जो लोग सीधे जन-मुक्ति संगठन से नहीं जुड़ पाते हैं या जिनकी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ अधिक होती हैं, वे समय नहीं दे पाते। ऐसे लोग हमारे जन संगठन में ही रहते हैं। यह संगठन भी हमने हर जिले में तैयार कर रखा है।

प्रो. योगेन्द्र : मानवजी! अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों का नाम बताने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है।

मानव : जी नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों में अरविन्द अंजुम (झारखंड), चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी (बिहार), तृप्ति (गुजरात), जयंत एवं ज्ञानेन्द्र कुमार (महाराष्ट्र)।

प्रो. योगेन्द्र : इसके अलावा स्थानीय लेवल पर कुछ?

मानव : हम आरा में नागरिक समाज नाम से एक सामाजिक संगठन चलाते हैं। इसका काम पिक्युलियर है। लोकल लेवल पर सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा की लड़ाई हम इस बैनर तले लड़ते हैं।

प्रो. योगेन्द्र : आपका कोई शौक?

मानव : मैं रंगकर्म से जुड़ा हूँ। समाजसेवा के क्षेत्र में आने के पहले से। 1989 से। आरा स्थित भूमिका नाट्य संस्था का मैं सचिव भी हूँ।

प्रो. योगेन्द्र : क्या आपने नाट्य संस्थाओं का संगठन भी किया है?

मानव : जी हाँ। हमने साहित्यिक थियेटरों का एक मोर्चा बनाया है जिसमें हजारों लोग हैं। इसकी एक बड़ी कमिटी भी है। जिसे देश भर में लोग आरा रंगमंच के नाम से जानते हैं।

प्रो. योगेन्द्र : क्या आपकी संस्था ने राष्ट्रीय लेवल पर कोई कार्यक्रम किये हैं? यदि हाँ, तो कितने?

मानव : जी हाँ हमारी यह संस्था राष्ट्रीय लेवल पर कार्यक्रम करती है। अभी तक हम 5 बार राष्ट्रीय आयोजन कर चुके हैं। छठवीं बार का आयोजन 7-11 जून 2016 के दौरान होने जा रहा है, जिसके लिए पूरे देश की लगभग तीस टीमें स्वीकृति दे चुकी हैं।

प्रो. योगेन्द्र : क्या इसमें उत्तर प्रदेश की भी कोई नाट्य संस्था भाग ले रही है?

मानव : जी हाँ, उत्तर प्रदेश की तीन टीमें भाग ले रही हैं। उनमें से दो शाहजहाँपुर से और एक आगरा से। एक स्टेट से इससे ज्यादा टीमें हम नहीं लेते हैं।

प्रो. योगेन्द्र : इंट्री फीस कितनी रखी है आपने?

मानव : मात्र 1500 रुपये।

प्रो. योगेन्द्र : इसके अलावा कुछ?

मानव : जी नहीं। रहने और खाने की व्यवस्था हम अपनी तरफ से देते हैं यानी निःशुल्क।

प्रो. योगेन्द्र : आपने रंगमंच के क्षेत्र में इतना काम किया है। क्या इसके लिए आपका कभी सम्मान हुआ?

मानव : जी हाँ। थियेटर के क्षेत्र में मुझे 5 बार सम्मानित किया गया है–असम, आगरा, झारखंड (गिरिडीह), भागलपुर (बिहार), दिल्ली (गांधी दर्शन एवं स्मृति समिति)।

प्रो. योगेन्द्र : क्या मैं आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जान सकता हूँ?

मानव : बिलकुल। क्यों नहीं।

प्रो. योगेन्द्र : आपने अपना पूरा जीवन समाज एवं देशसेवा को सपर्पित कर दिया है। फिर आपकी जीविका कैसे चलती है?

मानव : मेरी आय के विभिन्न साधन हैं। एक तो नाट्य प्रतियोगिताओं में मुझे जज के रूप में बुलाया जाता है। इस हेतु वे कुछ पारिश्रमिक प्रदान करते हैं। कुछ एन.जी.ओ. प्रशिक्षण के लिए बुलाते हैं। कुछ इनकम इससे हो जाती है। कभी-कभी मुझे सर्वे का भी काम मिल जाता है, कुछ आय इससे हो जाती है। दिल्ली की एक संस्था है, जो पिछले तीन वर्षों से मुझे एक्टिविस्ट होने के नाते हर माह 4000/- रुपये का भुगतान करती है। इस तरह मेरे परिवार का भरण-पोषण हो जाता है। भाई के साथ रहता हूँ, मकान का किराया देना नहीं पड़ता।

प्रो. योगेन्द्र : आपके परिवार में कितने लोग हैं?

मानव : मैं, मेरी पत्नी और 4.5 साल का मेरा एक बेटा।

प्रो. योगेन्द्र : आप फक्कड़, मस्तमौला, समाजसेवी आदमी हैं, क्या आपको बाँधने के लिए आपके परिवारवालों ने आपकी शादी कर दी?

मानव : जी, नहीं। मैंने अंतरजातीय एवं अंतरप्रांतीय विवाह किया है?

प्रो. योगेन्द्र : क्यों?

मानव : जेपी के विचार से प्रभावित होने के पश्चात् मैंने दो प्रण लिये थे। एक तो इस संगठन को कभी छोड़ूँगा नहीं। दूसरे अंतरजातीय विवाह करूँगा। इसी कारण मैंने अंतरजातीय विवाह किया।

प्रो. योगेन्द्र : वे किस प्रांत की रहनेवाली हैं?

मानव : असम की।

प्रो. योगेन्द्र : फिर असम की लड़की के संपर्क में आप कैसे आये? जो न आपकी भाषा जानती है, न आप उनकी भाषा जानते हैं।

मानव : जिस समय असम में सम्मान हुआ था, उसी समय जो अब मेरे ससुर हैं, उनका भी सम्मान हुआ था। वहीं उनसे मेल-जोल हुआ, उनके घर आना-जाना हुआ। उनकी लड़की से प्रेम हो गया। प्रेम के लिए भाषा का आना जरूरी नहीं है। वह हिंदी समझती थी, बोल नहीं पाती थी, मैं असमिया समझता था, बोल नहीं पाता था।

प्रो. योगेन्द्र : क्या आपके घर के लोगों ने इस विवाह को स्वीकार कर लिया?

मानव : जी नहीं। मेरे बीच के भाई बड़े ही ट्रेडिशनल थे। एक साल तक मैंने इन लोगों से दूर रखा। यानी वह अपने मायके में रही। इसके बाद मैं अपने घर गया, मैंने अपनी माँ से कहा कि वह भैया से कहें कि मुझे रहने के लिए एक कमरा दे दें। उन्होंने माँ को जो उत्तर दिया, उससे मुझे बहुत धक्का लगा और मैं बिना माँ से कुछ कहे वापस आ गया।

प्रो. योगेन्द्र : क्या कहा आपके भाई ने?

मानव : उन्होंने कहा कि उतर गया जयप्रकशिया खुमार। आखिर घर ही आना पड़ा न।

प्रो. योगेन्द्र : फिर आप कहाँ गये?

मानव : मेरे एक मौसेरे और चचेरे भाई पटना में रहते हैं, जिनके साथ मैं आज भी रहता हूँ। मैं उनके घर गया। भाभी ने मुझसे पूछा–क्यों उदास हैं, क्या बात है? तभी मेरे बड़े भाई आ गये। उन्होंने जब डाँट के पूछा तो मैंने लगभग रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। उन्होंने भाभी से कहा कि इसे किराया दे देना और मुझसे कहा कि तुम कल सुबह यहाँ से चले जाओ और उसको लेकर आओ और मेरे साथ रहो। मैं गया और दूसरे दिन लेकर आ गया। इस तरह से तमाम सामाजिक एवं पारिवारिक अवरोधों का सामना करते हुए मैंने अपनी जिन्दगी शुरू की। आने के दिन से ही मेरी पत्नी बड़े भाई की लाडली बनी हुई है।

प्रो. योगेन्द्र : आपको सबसे बड़ी परेशानी क्या आई?

मानव : सबसे बड़ी परेशानी धन की थी। एक कलाकार होने के बावजूद मैंने 5 साल शटरिंग करनेवाले लोगों के साथ मजदूरी की।

प्रो. योगेन्द्र : क्या आपके परिवारवालों ने अब आपको स्वीकार कर लिया?

मानव : स्वीकार की बात तो तब आती। जब मैं घर गया होता। 7-8 साल वनवास काटने के बाद मैं अपनी मातृभूमि पर गया तो जरूर। लेकिन आज तक उस घर में कदम नहीं रखा।

प्रो. योगेन्द्र : आपके जज्बे एवं कार्य को सैल्यूट! ❑

तुम सोये चादर ताने

❑ *लक्ष्मी निधि*

नई सुबह की नई किरण आई है, तुम्हें जगाने,
सारी दुनिया जाग पड़ी, तुम सोये चादर ताने,
नव प्रभात ले आया, सबके द्वार-द्वार सन्देश,
चलो मिटायें मिल-जुलकर, हम जन जीवन का क्लेश,
हो सुसंगठित, शक्ति अर्जित कर, छेड़ो एक संग्राम,
मुर्दा सा उसका जीवन जो, करते रहे आराम,
दिशा विहीन क्या जीवन जीना, और हरदम अश्रु बहाना,
रुका नहीं कहीं, वह जिसकी चाहत मंजिल पाना,
उस अतीत की कथा-व्यथा से, छोड़ो मन बहलाना,
वर्तमान को देखो, समझो, ठानो भविष्य बनाना,
नई उमंगें, नई लहर हो, नई-नई हो चाहें,
नई-नई हो मंजिल सबकी, नई-नई हो राहें,
नई चेतना, नई दृष्टि से, जीवन नया बनाओ,
जीर्ण पुरातन को झड़ने दो, फसलें नई उगाओ,
चढ़ा हिमालय की चोटी पर, चंद्रलोक में जाके,
आये हैं सब लौट-लौट के विजय ध्वजा फहराके,
लेकिन तेरी नींद न टूटी, इतना तुम्हें जगाया,
सोने वालों ने ही अपना, सब कुछ यहाँ गँवाया,
तुम तो भैया सोने में हो, कुम्भकरण से आगे,
इसलिए सोने वालों को, कहते हैं सभी अभागे।
कितनी बदल गयी है दुनिया, इतना भी न जाना,
बहुत कहा है हमने तुमको, फिर भी एक न माना।
बंद खिड़कियों के छिद्रों से, किरणें अन्दर जाके,
थक कर लौट गयी बेचारी, तुमको जगा-जगाके,
सोने वाले जागो! आओ! सबको यहाँ जगाओ,
नई सुबह के संवादों को, घर-घर आज सुनाओ।
साहस करके आगे आओ, आओ सीना तान,
नई जवानी सुनों वतन की! नवयुग का आह्वान। ❑

सर्व सेवा संघ (स्वत्वाधिकारी) के लिए महामंत्री, शेख हुसैन द्वारा सर्व सेवा संघ परिसर, राजघाट, वाराणसी (उ.प्र.) 221001 से प्रकाशित तथा प्रिन्टेक, इंडियन प्रेस कॉलोनी, मलदहिया, वाराणसी से मुद्रित। संपादक : बिमल कुमार। छपी प्रतियाँ : 1450